[2022] 12 एस. सी. आर 320

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5783)

23 अगस्त, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, कृष्णा मुरारी और

हिमा कोहली, जे. जे.]

बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 -

एसएस। 3 (2) , 5 – बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016-आयोजितः असंशोधित 1988 अधिनियम की धारा 3 (2) स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक है-तदनुसार, 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) है -

यह असंवैधानिक भी है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन करता है। 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक थी-2016 का संशोधन अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक नहीं था, बल्कि मूल प्रावधानों को निर्धारित करता था। 2016 अधिनियम की धारा 5, प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है और नहीं

पूर्वव्यापी रूप से-इस प्रकार, संबंधित अधिकारी 2016 अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक अभियोजन या ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकते हैं। , 1.11.2016 - नतीजतन, ऐसे सभी अभियोजन या ज़ब्ती की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 20 (1)।

बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988-एस. 2 (क), 3-पुरुष कारण, प्रभाव की अनुपस्थिति-आयोजितः आपराधिक प्रावधान की परिकल्पना की गई

आर. ए. ए. सख्त दायित्व वाला एक कठोर प्रावधान बनाता है-केवल यह तथ्य कि क़ानून का उद्देश्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना या एक गंभीर सामाजिक बुराई को समाप्त करना है जो अपने आप में इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि क्या दोषी मन के तत्व को बाहर रखा गया है। एक अपराध के तत्व-आवश्यक निहितार्थ से पुरुष कारण को केवल एक क़ानून से बाहर रखा जा सकता है जहां यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि क़ानून के उद्देश्य के कार्यान्वयन को अन्यथा पराजित किया जाएगा-एस की भाषा। 2 (a) s के साथ युग्मित। 3 , पूरी तरह से

320 भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

मेन्स रिया के पहलू को नजरअंदाज करता है, क्योंकि यह दूसरे व्यक्ति के लिए संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान करने वाले एक व्यक्ति के कार्य को ही अपराधी बनाने का इरादा रखता है-1988 के कानून की परिकल्पना सख्त दायित्व की कसौटी पर की गई थी।

न्यायिक समीक्षा-परीक्षण के संबंध में कानून

एक सांविधिक लिखत की असंवैधानिकता-आयोजितः संवैधानिक न्यायालय विधायी उपकरणों (कानून और प्रत्यायोजित विधान) की संवैधानिकता का परीक्षण प्रक्रिया के साथ-साथ इन उपकरणों की मूल प्रकृति दोनों पर कर सकते हैं-परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के संयुक्त पठन पर आधारित होना चाहिए-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,19,21।

सिद्धांत/सिद्धांत-स्पष्ट मनमानी का सिद्धांत

चर्चा की।

क़ानूनों की व्याख्या-असंवैधानिक घोषित कानून का प्रभाव-आयोजितः इस तरह की घोषणा से कानून अपनी स्थापना के बाद से कानून की पुस्तकों में मौजूद नहीं होगा।

संवैधानिक कानून के तहत अपवाद, या जब ऐसे असंवैधानिक कानूनों के तहत पर्याप्त कार्रवाई की गई है जो मूल स्थिति में वापस जाना असंभव के करीब होगा-केवल उन्हीं मामलों में, क्या यह न्यायालय 'संभावित' की अवधारणा का सहारा लेगा?

भारत का संविधान-पुनः सक्रिय/पूर्वव्यापी विधान-विधानमंडल की अधिनियमित करने की शक्ति-आयोजितः विधायिका के पास शक्ति है के तहत पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी नागरिक कानूनों को लागू करना

संविधान-हालांकि, अनुच्छेद 20 (1) आदेश देता है कि कोई कानून नहीं है

एक दंडात्मक प्रावधान को अनिवार्य करने को पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित किया जा सकता है-एक दंडात्मक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत जनादेश को पारित करने के लिए एक नागरिक प्रावधान के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है जो इस तय किए गए कानूनी सिद्धांत का पालन करता है कि "जो सीधे नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है"।

शब्द और वाक्यांश-"ज़ब्त", "बेनामी", "बेनामी लेनदेन", "बेनामीदार/प्रत्यक्ष मालिक"-पर चर्चा की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. धारा 3 के साथ धारा 2 (ए) को पढ़ने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि धारा 3 के तहत परिकल्पित आपराधिक प्रावधान

उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से मानव अधिकार पर विचार नहीं करते हैं।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय न्यायशास्त्र के तहत, इस विषय पर कानून काफी अच्छी तरह से स्थापित है। इसे कई मौकों पर इस न्यायालय की न्यायिक जांच के अधीन किया गया है। इसके लिए विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

3 1988 के अधिनियम में छूट गया था। इस संदर्भ में, अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करना होगा कि प्रतिफल का भुगतान किया गया था या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए विचार प्रदान किया गया था

और कुछ नहीं। सभी न्यायिक उदाहरणों में, इस न्यायालय को इस कानून की सिविल पक्ष पर जांच करने का अवसर मिला है, न कि आपराधिक पक्ष पर, जो उच्च मानकों को धारण करेगा। धारा 3 (1) और (2) के तहत सामग्री का धारा 4 के साथ संयोजन, जबरन निहित पुरुष अधिकार के लिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[पैरा 14.10-14.12] [355-D-G; 356-B-C]

नाथूलाल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 43; मिथलेश कुमारी बनाम। प्रेम बिहारी खरे (1989) 2 एस. सी. सी. 95: [1989] 1 एस. सी. आर 621; आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन, (1995) 2 एससीसी 630: [1995]

1 एस. सी. आर. 715-संदर्भित।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

2. एक सांविधिक लिखत की असंवैधानिकता का परीक्षण करने के संबंध में कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

ए। संवैधानिक न्यायालय संवैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं

विधायी साधन (कानून और प्रत्यायोजित विधान);

बी। न्यायालयों को इन उपकरणों की प्रक्रिया के साथ-साथ मूल प्रकृति दोनों का परीक्षण करने का अधिकार है।

सी। यह परीक्षा संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के संयुक्त अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए।

भाग III के तहत इस परीक्षण की शाखाओं में से एक

संविधान स्पष्ट मनमानेपन के सिद्धांत का विकास है। [पैरा 15.7,15.8]

शायरा बानो बनाम। भारत संघ, (2017) 9 एस. सी. सी. 1: [2017] 9 एससीआर 797; जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ, (2019) 3 एस. सी. सी. 39: [2018] 11 एस. सी. आर. 765; हिन्दुस्तान निर्माण

कं. लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2020) 17 एस. सी. सी. 324-आश्रित

पर।

3.1 1988 के अधिनियम पर वापस आते हुए, जिन दो प्रावधानों के साथ न्यायालय का संबंध है, वे हैं 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 5।

1988 के अधिनियम के तहत उपरोक्त आपराधिक प्रावधान की संवैधानिकता का विश्लेषण करने में पुरुष अधिकार के पहलू को समाप्त करने के लिए पहचाना जाने वाला एक योगदान कारक होना चाहिए। इसके अलावा, के तहत संशोधित 2016 अधिनियम, पुरुष अधिकार के पहलू को धारा 53 के माध्यम से वापस लाया गया है। इस तरह का पुनरुत्थान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पुरुष के वास्तविक पहलू को दूर करना, बिना किसी तुकबंदी या कारण के था, और अंत में एक असामान्य रूप से कठोर अधिनियम का निर्माण हुआ। दूसरा, [2022] 12 एस. सी. आर. की अनदेखी करना।

मनमानी के लिए अतिसंवेदनशील। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपक्षीय बेनामी लेनदेन के लिए, 2016 अधिनियम इस घटक को वापस लाता है धारा 2 (9) (ए) (बी)। इस संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 20 (1) के तहत यह एक साधारण आवश्यकता है कि एक कानून को

स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं। इसमें लाइलाज खामियां नहीं होनी चाहिए जिन्हें अभी तक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कानून बनाया/भरा जाना है। तीसरा, भारत संघ की ओर से पेश विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि आपराधिक प्रावधान का कभी भी उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि

इस तरह के प्रावधान के कामकाज को सक्षम करने में महत्वपूर्ण अंतराल। चौथा, धारा 2 (ए) को धारा 3 (1) के साथ पढ़ने से अत्यधिक व्यापक कानून बनते जिन्हें इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती थीः

स्पष्ट मनमानेपन। यदि यह न्यायालय बेनामी अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों को 1988 से लागू होने के लिए पढ़ता है, तो निम्नलिखित हानिकारक परिणाम सामने आएंगेः (i.) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 187 सी ने शेयरों की नाममात्र और लाभकारी होल्डिंग के लिए सुरक्षा का आश्वासन दिया यदि -

विधिवत की गई निर्धारित घोषणाएँ गंभीर जोखिम में हैं।

((ii.) समय-समय पर नियमित किए गए बेनामी रसोई गैस कनेक्शन खतरे में हैं।

(iii.) आवासीय कॉलोनियाँ और डी. डी. ए. फ्लैटों का बेनामी आवंटन

जिन्हें समय-समय पर नियमित किया गया है, वे जोखिम में हैं।

1988 के अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत आपराधिक प्रावधान में गंभीर खामियां हैं जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया से ठीक नहीं किया जा सकता था

मंच, यहां तक कि किसी प्रकार की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से भी। उपरोक्त के विपरीत एक निष्कर्ष उपरोक्त कानून को भारत और ए. एन. आर. का संघ बना देगा।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

अत्यधिक दमनकारी, काल्पनिक और स्पष्ट रूप से मनमाना होने का संदेह है, जिससे 'मूल उचित प्रक्रिया' का उल्लंघन होता है संविधान की आवश्यकता। [पारस 15.11-15.17] [366-E-H; 367-A-H; 368-A-B]

3.2 1988 के अधिनियम की धारा 5 पर आते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिग्रहण की कार्यवाही पर पहले विचार किया गया था

बेनामी संपत्ति के खिलाफ आर. ई. एम. कार्यवाही में अधिनियम थे।

न्यायिक रूप से, इस तरह की कार्यवाही में अपराध को उस व्यक्ति से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसने एक संपत्ति का उपयोग किया जो समाज के लिए एक सामान्य नुकसान है, संपत्ति को ही। जब ऐसी कार्यवाहियाँ

कानून के तहत विचार किया गया है, प्रावधानों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके बिना कानून होगा

1988 के अधिनियम की धारा 5 पर आते हुए, इसकी कल्पना एक अधूरे प्रावधान के रूप में की गई थी जिसमें निम्नलिखित प्रावधान नहीं थे और इसे एक प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया थाः (i) क्या धारा 5 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र थी या सफल अभियोजन पर निर्भर थी?

((ii) धारा 5 के संदर्भ में बेनामी लेनदेन को स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक।

((iii) किसी व्यक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए तंत्र

अपना बचाव स्थापित करें।

((iv) वैध निर्दोष खरीदारों को बचाने के लिए कोई 'निर्दोष मालिक का बचाव' प्रदान नहीं किया गया था।

(v) इसके लिए कोई निर्णयात्मक तंत्र प्रदान नहीं किया गया था।

(vi) अर्जित संपत्ति के निहित होने का निर्धारण करने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।

(vii) बेनामी संपत्तियों की पहचान करने या उनका पता लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(viii) संपत्ति की निंदा में पता लगाने की शक्ति शामिल नहीं हो सकती है, जिसके लिए एक स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता होती है।

प्राधिकरण को सत्ता का इस तरह का प्रत्यर्पण पूरी तरह से अत्यधिक और मनमाना था। उपरोक्त से, संघ का यह रुख कि 2016 का अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक था, कायम नहीं रह सकता है जाँच करें। किसी भी मामले में, ऐसा अनिर्णायक कानून, जिसने प्रतिनिधिमण्डल के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली आवश्यक विशेषताओं को छोड़ दिया, कभी भी [2022] 12 एस. सी. आर. नहीं हो सकता।

के भाग III के तहत वैध होने के लिए कानून में माना जाए संविधान। 1988 के अधिनियम में छोड़ी गई खामियां केवल प्रक्रियात्मक नहीं थीं, बल्कि वे आवश्यक और मूल थीं। इस तरह के ठोस प्रावधानों के अभाव में, चूक एक ऐसा कानून बनाती है जो एक ही समय में काल्पनिक और दमनकारी है। इस तरह का व्यापक प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना था क्योंकि कानून की खुली बनावट में आनुपातिक होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे।

[पारस 15.18-15.20] [368-B-H; 369-A-B]

3.3 जब कोई न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करता है, तो उसका प्रभाव यह होता है कि ऐसी घोषणा से कानून अपनी स्थापना के बाद से कानून की पुस्तकों में मौजूद नहीं होगा। यह केवल संवैधानिक कानून के तहत एक सीमित अपवाद है, या जब महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाती है।

ऐसे असंवैधानिक कानूनों के तहत किए गए हैं जो मूल स्थिति में वापस जाना असंभव के करीब होगा। केवल उन्हीं मामलों में, क्या यह न्यायालय 'संभावित अतिनिर्णय' की अवधारणा का सहारा लेगा। 1988 के अधिनियम की धारा 2 (ए) और धारा 5 (ज़ब्ती की कार्यवाही) के साथ पठित धारा 3 (आपराधिक प्रावधान) अत्यधिक व्यापक, असमान रूप से कठोर और प्रभावी है।

पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना। इस तरह के प्रावधान अभी भी जन्मजात कानून थे और इनका कभी भी उपयोग नहीं किया गया। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने पाया कि 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 5 उनकी शुरुआत से ही असंवैधानिक। यह बहुत स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चर्चा नागरिक परिणामों को प्रभावित नहीं करती है।

1988 के अधिनियम की धारा 4 या किसी अन्य प्रावधान के तहत विचार किया गया। [पारस 15.21-15.23] [369-C-E]

3.4 चर्चा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः (क) 1988 के अधिनियम की धारा 3 (1) अस्पष्ट और मनमाना है। (ख) धारा 3 (1) ने एक स्थापित सिद्धांतों और विधि आयोग के खिलाफ अनुचित रूप से कठोर कानून

सिफारिशें। (ग) 1988 के अधिनियम की धारा 5, सिविल ज़ब्ती से संबंधित प्रावधान, स्पष्ट रूप से मनमाना था। (घ) दोनों प्रावधान अव्यवहारिक थे और वास्तव में, कभी भी लागू नहीं किए गए थे।

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि 1988 के अधिनियम के तहत धारा 3 और 5 असंवैधानिक थीं, इसका मतलब होगा

कि 2016 के संशोधन, वास्तव में, नए प्रावधानों और नए अपराधों का निर्माण कर रहे थे। इसलिए, 2016 के अधिनियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक धारा 3 (1) के तहत अपराध का संबंध है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

उन लेन-देनों के लिए जो 05.09.1988 से 31.10.2016 के बीच किए गए थे, कानून पूर्वव्यापी रूप से एक मृत आपराधिक अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकता है। भारत संघ द्वारा दी गई रियायत और 2016 के अधिनियम की धारा 53 के निष्पक्ष अध्ययन के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान के तहत अपराध संभावित है, और केवल उन लेनदेनों पर लागू होता है जो संशोधन लागू होने के बाद किए गए थे। , 1.11.2016 . 1988 के अधिनियम की धारा 3 की कोई भी विपरीत व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन होगी। [पैरा 17.2-17.4] [375-बी-एफ]

टी. बरई बनाम हेनरी आह हो (1983) 1 एस. सी. सी. 177: [1983] 1 एस. सी. आर. 905 पर भरोसा किया।

3.5 वर्तमान मामले में, आपराधिक प्रावधानों वाला 2016 का अधिनियम केवल संभावित रूप से लागू होता है, जैसा कि प्रासंगिक है

दंडात्मक प्रावधान वाली 1988 के पूर्व-संशोधन अधिनियम की धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसलिए, धारा 3 या 53 के तहत दंडात्मक प्रावधानों के पूर्वव्यापी के रूप में 2016 अधिनियम के निर्माण का सवाल ही नहीं उठता है। द.

कानून की पुस्तक पर एक असंवैधानिक कानून की निरंतर उपस्थिति, या यह दावा कि इस तरह के कानून को पहले चुनौती नहीं दी गई थी

संवैधानिक न्यायालय, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने से नहीं रोकते हैं कि ऐसे असंवैधानिक कानून लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं या मौजूदा कानूनों को ठीक करने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। संवैधानिक दोष। यदि इस तरह के उपचार की अनुमति दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (1) को निरर्थक बना दिया जाएगा। हालाँकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक थी, हालाँकि इस तरह की धारणा का कोई परिणाम नहीं है यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

अध्याय IV के साथ पठित 2016 अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती, सिविल प्रकृति की थी और दंडात्मक नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि विधायिका के पास संविधान के तहत पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी नागरिक कानूनों को लागू करने की शक्ति है। हालांकि, अनुच्छेद 20 (1) में कहा गया है कि दंडात्मक प्रावधान को अनिवार्य करने वाले किसी भी कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एक दंडात्मक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत जनादेश को पारित करने के लिए एक नागरिक प्रावधान के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है जो इस स्थापित कानूनी सिद्धांत का पालन करता है कि "जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है"। [पैरा 17.6,17.7,17.9,17.10] [376-H; 377-A-B, E-F] [2022] 12 एस. सी. आर.

3.6 इसलिए, तत्काल प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या पूर्वव्यापी जब्ती प्रदान की गई है।

2016 अधिनियम के अध्याय IV के साथ पठित धारा 5 के तहत दंडात्मक है या नहीं? कहा जाता है कि 1988 के पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत अधिग्रहण के साथ-साथ 2016 के अधिनियम के तहत जब्ती इस तर्क पर लागू की गई थी कि संपत्ति भी बेनामी लेनदेन से उत्पन्न होती है।

2016 के अधिनियम के तहत लेन-देन का पता लगाया जा सकता है। अन्य प्रावधानों का विश्लेषण करने से पहले, यह देना आवश्यक है कि भारत में नागरिक ज़ब्ती की अवधारणा का एक संक्षिप्त परिचय, जैसा कि विद्वान ए. एस. जी. द्वारा तर्क दिया गया था। नौसेना क्षेत्राधिकार के तहत, संबंधित नौसेना न्यायालयों को किसी भी समुद्री दावे के बदले अपने नागरिक क्षेत्राधिकार के तहत जहाजों को जब्त करने का अधिकार क्षेत्र था। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में भी यही कानून था। ज़ब्ती विभिन्न प्रकारों में होती है, जिनमें से कुछ भारत में पाए जाते हैं। मोटे तौर पर, ज़ब्तों को दीवानी और आपराधिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिविल पक्ष पर, रेम में या व्यक्तिगत रूप से ज़ब्त हो सकते हैं।

आपराधिक कानून के तहत दंडात्मक ज़ब्त व्यक्तिगत रूप से होते हैं। आपराधिक ज़ब्तियाँ आमतौर पर मुकदमे के समापन पर होती हैं, जब अभियुक्त का अपराध स्थापित हो जाता है। मानकों

साक्ष्य की आवश्यकता नागरिक और आपराधिक ज़ब्ती के बीच बहुत भिन्न होती है। सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में नागरिक ज़ब्ती की ऐतिहासिक उत्पत्ति पहले ज्यादातर अंतर-राष्ट्रीय अपराधों तक ही सीमित थी। इन प्रारंभिक कानूनों ने अनिवार्य किया कि संपत्ति अधीन थी। ज़ब्त करना क्योंकि यह वह साधन था जिसके द्वारा अपराध किया गया था, और ऐसी संपत्ति को परिसंचरण से हटाने के लिए उसे ज़ब्त करना आवश्यक था। हालाँकि, बीसवीं शताब्दी में ज़ब्ती कानूनों का विस्तार अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला में हुआ। आधुनिक ज़ब्ती कानून न केवल उपयोग की गई संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति देते हैं

अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए, लेकिन अपराध की आय को भी कवर करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में, इस तरह के नागरिक ज़ब्ती कानूनों को दी गई संवैधानिक चुनौतियों को खारिज कर दिया गया है क्योंकि उन्हें आमतौर पर इस तरह के ज़ब्ती कानूनों की ऐतिहासिक व्यापकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। हालाँकि, इसके अस्तित्व के ऐसे ऐतिहासिक कारण नागरिक ज़ब्ती कानूनों के निरंतर विस्तार को उचित नहीं ठहरा सकते हैं। [पारस 17.11-17.16] [377-जी; 378-बी-एच] भारत और एएनआर का संघ।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

लियोनार्ड वी। टेक्सास, 137 एस. सी. टी. 847 , 847-48 (2017) ; एंगेल बनाम नीदरलैंड (नंबर 1), [1976] 1 ईएचआरआर 647, कैनेडी बनाम मेंडोज़ा-मार्टिनेज, 372 यूएस 144 (1963) -

संदर्भित किया गया।

उसमें विवादित विधान के तहत अनूठी योजना का दृश्य। उक्त निर्णय पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त अनुपात में आगे विस्तार की आवश्यकता है - उचित मामला, जिसके बिना, मनमाने ढंग से आवेदन के लिए बहुत गुंजाइश बची है। [पैरा 17.27] [384-E-G]

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एसएलपी (सी. आई. वी.) 2014 का सं. 4634 और अन्य-संदर्भित।

3.8 अदालतों ने दीवानी ज़ब्ती के प्रावधानों को अंतर्निहित आपराधिक अभियोजन पर निर्भर होने के लिए पढ़ा है ताकि इस तरह के तहत परिकल्पित कठोर परिणामों को कम किया जा सके प्रावधान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के अध्ययन को जब्त करने वाले कानूनों के कठोर परिणामों को सुधारने के लिए अनिवार्य किया गया था, जो अन्यथा राज्य एजेंसियों को आपराधिक अभियोजन को गंभीरता से आगे बढ़ाए बिना संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देता। इस स्तर पर, यह केवल सिफारिश की जा सकती है कि ज़ब्त के स्वतंत्र प्रावधानों की उपयोगिता, आपराधिक से अलग हो

अभियोजन, अपराध की गंभीरता को देखते हुए आनुपातिक तरीके से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण जो पारित कर सकते हैं

इस तरह के सख्त नागरिक ज़ब्ती के लिए आनुपातिकता का संग्रह, आतंकवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं के गिरोह या संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अपराधों से संबंधित हो सकता है। यदि आपराधिक अभियोजन से स्वतंत्र प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं, तो ऐसे प्रावधान को कई अन्य अपराधों पर लागू करना, जो इतने गंभीर नहीं हैं, असमान होने का गंभीर खतरा होगा। 2016 अधिनियम के तहत निर्धारित अलग-अलग ज़ब्ती प्रक्रिया की आनुपातिकता पर यहां तर्क नहीं दिया गया है।

कानून के उपरोक्त प्रश्न को खुला छोड़ दिया गया है। आई. पी. सी. के तहत, धारा 53 के तहत ज़ब्ती को सजा का एक रूप बनाने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1976 Cr.P.C (व्यक्तिगत रूप से ज़ब्त) की धारा 451 के तहत मुकदमे के समापन पर अंतरिम हिरासत और ज़ब्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

Cr.P.C के तहत धारा 451,452 में व्यक्तिगत रूप से आपराधिक ज़ब्ती के अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं, जिसमें

मुकदमे का अंत। इन प्रावधानों के तहत, जब्ती का निर्धारण 'उचित संदेह से परे' के प्रमाणिक मानक पर किया जाना है और यह आपराधिक मुकदमे के परिणाम पर निर्भर है। [पैरा 17.28,17.29] [384-G-H; 385-A-D; 386-B]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। एस. के. घोष, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 255: [1963] एस. सी. आर. 111; प्रभागीय वन अधिकारी बनाम। जी. वी. सुधाकर राव, (1985) 4 एस. सी. सी. 573 [1985] 3 पूरक। एससीआर 680; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। कल्लो बाई, (2017) 14 एस. सी. सी. 502; योगेंद्र कुमार जायसवाल बनाम। बिहार राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 183: [2015] 14 एससीआर 1037; अब्दुल वहाब बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी

262 संदर्भित किया गया। -

3.9 संशोधन के बाद बेनामी अधिनियम पर आते हुए, 2016 अधिनियम की धारा 27 (3), (5) और 67 की परस्पर क्रिया एक जब्त प्रक्रिया का निर्माण करती है जो प्रक्रिया से अलग है

भारत में अब तक सीआरपीसी या किसी अन्य अधिनियम के तहत विचार किया गया। मानकों के इस तरह के परिवर्तन को केवल प्रक्रियात्मक नहीं कहा जा सकता है। 2016 अधिनियम के अध्याय IV के तहत जब्ती की कार्यवाही को इसलिए दीवानी नहीं माना जा सकता है।

उचित है। ज़ब्ती को एक दंडात्मक मंजूरी होने की अंतर्निहित मान्यता है, क्योंकि अधिकारी को इस तरह की ज़ब्ती के लिए आरोपी के खिलाफ मामला बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसमें -

निर्दोषता की धारणा को संरचनात्मक रूप से बरकरार रखा जाता है। एक दंडात्मक प्रावधान होने के नाते, यह सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति अध्याय के भीतर 'निर्दोषता की धारणा' को एकीकृत करता है क्योंकि यह मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, 2016 का अधिनियम अब न केवल उन लेनदेनों की निंदा करता है जिन्हें पारंपरिक रूप से बेनामी के रूप में नामित किया गया था, बल्कि काल्पनिक और नकली लेनदेन के एक नए वर्ग को भी इसके तहत शामिल किया गया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि विधायिका का इरादा भारत और ए. एन. आर. की ऐसी संपत्ति की निंदा करना है।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

और संसद द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखने का एक अंतर्निहित प्रयास है कि इस तरह के लेनदेन अक्सर किए जाते हैं। बुरी तरह से अर्जित धन से। इन कार्यवाहियों को नागरिक दायित्वों को लागू करने के रूप में नहीं माना जा सकता है, उदाहरण के लिए, शीर्षक में कमियों को सुधारना। यह आगे बढ़ता है और कमाई के साथ दाग भी जुड़ जाता है। [पारस 17.30-17.32] [386-C-G]

3.10 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 2016 का अधिनियम एक इन-रेम ज़ब्ती पर विचार करता है, जिसमें

बिक्री जिसमें धन को जोड़ने के वैध साधन भी शामिल हो सकते हैं। न्यायिक रूप से, एक कानून अपनी परिस्थितियों के विशिष्ट कारण से संपत्ति को जब्त करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि यह किसी भी रूप या स्थिति के कारण समुदाय के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों में, ज़ब्ती को उसके मालिक पर लगाया गया दंड नहीं माना जाता है। इसके विपरीत, यदि कानून यह प्रावधान करता है कि सरकार संपत्ति 'ए' को जब्त कर लेगी, (1) संपत्ति में क्या किया गया था। ' बी ', या (2) संपत्ति' ए 'से संबंधित किसी मामले में मालिक क्या करता है या (3) एक खाली इरादा जो आवश्यक रूप से संपत्ति' ए 'में आचरण से संबंधित नहीं है, ऐसे मामलों में, जब्ती है

बिना किसी अपवाद के सजा। इस मामले में, संपत्ति स्वाभाविक रूप से खतरनाक नहीं हो सकती है या नैतिकता के किसी भी मानक को बदनाम नहीं कर सकती है। यह केवल हस्तांतरण और धारण की विधि की निंदा है, जो कभी भारत में संपत्ति धारण का एक मान्यता प्राप्त रूप था। ऐसे मामले में, पूर्वव्यापी रूप से उपयोग की जाने वाली सिविल कार्यवाही स्वयं को दंडात्मक के रूप में चिह्नित करेगी। हाथ में मामले में, प्राधिकरण जो इस तरह की जब्ती शुरू करता है, को व्यापक शक्तियां दी जाती हैं खोज, निरीक्षण, सम्मोहक उपस्थिति, दस्तावेजों का सम्मोहक उत्पादन। उन्हें आगे पुलिस अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, आयकर [2022] 12 एस. सी. आर. की सहायता लेने का अधिकार है।

जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कोई भी व्यक्ति जो जानकारी देने में विफल रहता है, उस पर धारा 54 (ए) के तहत Rs.25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो किसी से पहले गलत जानकारी प्रदान करता है

प्राधिकरण, 2016 अधिनियम की धारा 54 के तहत 5 साल तक के कठोर कारावास के अधीन है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि 'संपत्ति का अधिकार' एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कानून द्वारा संक्षिप्त किया जा सकता है। तथापि, यह न्यायालय इस प्रकार की संवैधानिकता से संबंधित नहीं है। उपाय, जिसमें इस तरह के विचारों को संतुलित किया जाना है।

बल्कि, ध्यान केवल पूर्वगामी के लक्षण वर्णन पर है।

जब्ती, जो इन तथ्यों और परिस्थितियों में दंडात्मक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि 1988 के अधिनियम के तहत आपराधिक प्रावधान मनमाने और अक्षम थे आवेदन में, 2016 के संशोधन के माध्यम से कानून 05.09.1988 से 31.10.2016 के बीच किए गए उन लेनदेनों को जब्त करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सका क्योंकि यह किसी अन्य प्रकार की सजा के अभाव में दंडात्मक सजा के समान होगा। इस अनूठी परिस्थिति में

यदि इस तरह की जब्ती को पूर्वव्यापी रूप से अनुमति दी जाती है, तो 05.09.1988 और 31.10.2016 के बीच की अवधि के तहत विचारित जब्ती खुद को दंडात्मक के रूप में चिह्नित करेगी। आम तौर पर, जब ज़ब्ती को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई को स्वीकार करने का तार्किक कारण यह होगा कि ऐसी संपत्ति की निरंतरता या उपकरण, समुदाय के लिए परिसंचरण में मुक्त रहना खतरनाक होगा। [पारस 17.33-17.37] [387-A-H; 388-A-D]

आर में (संपत्ति वसूली एजेंसी के निदेशक के आवेदन पर) बनाम जिया जिन हे और डैन डैन चेन, [2004]

ई. डब्ल्यू. एच. सी. प्रशासन 3021 को संदर्भित किया गया।

3.11 वर्तमान अधिनियम पर आते हुए, इतिहास एक अलग कहानी की ओर इशारा करता है जिसमें बेनामी लेनदेन को स्वीकार किया गया था।

हमारे देश में धारण का रूप। वास्तव में, प्रिवी काउंसिल ने एक समय पर इस सिद्धांत के सुई जेनरिस विकास की प्रशंसा की थी भारतीय कानून में विश्वास। बेनामी लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और विधि आयोग की प्रतिक्रिया भी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि भारत और ए. एन. आर. की धारा 3।

और 1988 के अधिनियम की धारा 5 वास्तव में वैधता को नकारती है, केवल कागजों पर बनी रही और इन्हें कभी भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। विधायिका द्वारा पूर्वव्यापी रूप से इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्रयास निस्संदेह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत प्रतिबंधों के लिए अतिसंवेदनशील होगा। एक अलग दृष्टिकोण से देखने पर, धारा 4 आदि के तहत केवल नागरिक प्रावधानों को जारी रखने का मतलब यह होगा कि विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना था कि वास्तविक मालिक को बेनामीदार के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए बिना संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व बना रहे। यदि ऐसा है, तो लंबे समय तक किसी भी प्रवर्तन कार्यवाही को प्रभावी किए बिना, जिनके पास अधिकार हैं

1988 से क्रिस्टलीकृत, खतरे में होगा। संपत्ति के अधिकार में इस तरह की निहित घुसपैठ को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पूर्वव्यापी रूप से, क्योंकि यह अनुचित रूप से कठोर और मनमाना होगा। [पारस 17.38,17.39] [389-A-D] 3.12 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह आयोजित किया जाता हैः क) 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 3 (2) को असंवैधानिक घोषित किया गया है।

स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए। तदनुसार, 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) भी असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन करती है। ख) 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले, 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 5 के तहत ज़ब्त करने का प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए असंवैधानिक था। ग) 2016 का संशोधन अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक नहीं था, बल्कि

निर्धारित मूल प्रावधान। घ) 2016 अधिनियम की धारा 5 के तहत ज़ब्त करने के प्रावधान में, दंडात्मक प्रकृति होने के कारण,

केवल संभावित रूप से लागू किया जाए और पूर्वव्यापी रूप से नहीं। ङ) संबंधित अधिकारी 2016 के अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए लेन-देन के लिए आपराधिक अभियोजन या जब्ती की कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकते हैं। , 1.11.2016 . उपरोक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, ऐसे सभी अभियोजन या ज़ब्ती की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी। च) चूंकि यह न्यायालय अन्य आधारों पर 2016 के संशोधन अधिनियम के तहत विचार की गई ऐसी स्वतंत्र ज़ब्ती कार्यवाही की संवैधानिकता से संबंधित नहीं है, इसलिए उपरोक्त प्रश्नों को उचित निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

कार्यवाही। [पैरा 18.1] [389-ई-एच; 390-ए-बी] [2022] 12 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27:

[1950] एस. सी. आर. 88; मेनका गांधी बनाम भारत संघ,

(1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एससीआर 621; सुनील बत्रा बनाम।

दिल्ली प्रशासन (1978) 4 एससीसी 494: [1979] 1 एससीआर

392 ; के. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1

: [2017] 10 एस. सी. आर. 569-अनुसरण किया गया।

निहारिका जैन बनाम। भारत संघ [S.B.C.W.P. सं. 2915 /

2019] ; जोसेफ इशरत बनाम। श्रीमती रोजी निशिकांत गायकवाड़

[एस. ए. नं. 749/2015]; राव शिव बहादुर सिंह बनाम राज्य

विंध्य प्रदेश, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 394: [1953] एससीआर

1188 ; मंगथाई अम्मल बनाम। राजेश्वरी (2020) 17 एससीसी

496 ; आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1 नई दिल्ली

वी. वाटिका टाउनशिप प्रा. लि. लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 1: [2014] 12 एस. सी. आर. 1037; श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर

आयकर विभाग, मद्रास ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 49: [1956] एससीआर

691 ; ठाकुर भीम सिंह बनाम। ठाकुर कान सिंह आकाशवाणी 1980 एससी 727 [1980] 2 एससीआर 628; पंजाब प्रांत बनाम। दौलत

सिंह एयर (29) 1942 एफ. सी. 38; जय दयाल पोद्दार बनाम। बीबी।

हजरा एयर 1974 एससी 171: [1974] 2 एससीआर 90; मुरलीधर नारायणदास बनाम। परमानंद लुचमंडस, ए. आई. आर. 1932

बम। 190 ; राधाकिशन बृजलाल बनाम। भारत संघ, आकाशवाणी

1959 बम। 102 (वी46 सी40); गुर प्रसाद बनाम। हंसराज

आकाशवाणी (33) 1946 अवध। 144 ; केशवानंद भारती बनाम.

केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225: [1973] पूरक। एससीआर

1 ; नरेंद्र सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2004)

10 एससीसी 699: [2004] 3 एस. सी. आर. 1148-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1953] एससीआर 1188

पैरा

10 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2015] 14 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.10

[1989] 1 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.10

[1995] 1 एससीआर 715

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.30

[2014] 12 एससीआर 1037

पैरा

12.30

संदर्भित किया गया है

[1956] एससीआर 691

पैरा

13.3

संदर्भित किया गया है

[1980] 2 एससीआर 628

संदर्भित किया गया है

पैरा 13.3 भारत और ए. एन. आर. का संघ। वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

[1974] 2 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.6

[1973] 0 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.12

[1989] 1 एससीआर 621

पैरा

14.13

संदर्भित किया गया है

[1995] 1 एससीआर 715

पैरा

14.14

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 88

पैरा

15.5

पीछा किया।

[1978] 2 एससीआर 621

पीछा किया।

पैरा

15.5

[1979] 1 एससीआर 392

पीछा किया।

पैरा

15.5

[2017] 10 एससीआर 569

पीछा किया।

पैरा

15.6

[2017] 9 एससीआर 797

उस पर भरोसा करें

पैरा

15.8

[2018] 11 एससीआर 765

उस पर भरोसा करें

पैरा

15.9

[1983] 1 एससीआर 905

उस पर भरोसा करें

पैरा

17.5

[1963] एससीआर 111

पैरा

17.20

संदर्भित किया गया है

[1985] 3 पूरक। एससीआर 680

संदर्भित किया गया है

पैरा

17.22

[2004] 3 एससीआर 1148

संदर्भित किया गया है

पैरा

17.31

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5783

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 12.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के डब्ल्यू. पी. No.687 में 2019 के ए. पी. ओ. सं. 8 में कलकत्ता का।

एस. वी. राजू, विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., जोहेब हुसैन, आकांक्षा

कौल, भुवन मिश्रा, एस. ए. हसीब, सिद्धार्थ सिन्हा, तथागट, रित्विज ऋषभ, अंशुमन सिंह, सुश्री जान्हवी प्रकाश, रमन यादव, अंकित भाटिया, अर्पित गोयल, हर्ष पॉल सिंह, ए. के. शर्मा, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अंकित आनंदराज शाह, सुश्री भूमिजा वर्मा,

अनिकेत अग्रवाल, अभिमानु सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, नीरज किशन

कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मयंक जैन, परमात्मा सिंह, मधुर जैन, सुश्री आकृति धवन, शंकर दिवाते, रोहित जैन, अनिकेत डी. अग्रवाल, सुश्री कविता एम/एस के लिए झा, सौरभ राजपाल, नवीन कुमार, सुश्री श्रिंजन खोसला। औरा एंड कंपनी, एड. मध्यस्थ के लिए।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, सीजेआई

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस मामले में अपराध और सजा की प्रकृति के संबंध में मानक और सकारात्मक स्थितियों के बीच संघर्ष शामिल है। इलाज करते हुए

एक ध्वज-पद के रूप में संविधान, इस संघर्ष का परिणाम निम्नलिखित विचार-विमर्श में मांगा गया है।

3. यह अपील 2017 की रिट याचिका संख्या 687 के साथ 2019 के ए. पी. ओ. संख्या 8 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.12.2019 के विवादित फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

5. 02.05.2011 पर, प्रत्यर्थी-कंपनी ने विभिन्न विक्रेताओं से अपने नाम पर एक संपत्ति खरीदी। रु. 9,44,00,000/-। ऐसा कहा जाता है कि उपरोक्त खरीद के लिए कंपनी की पूंजी से भुगतान किया गया था। 31.03.2012 पर, मैसर्स पी. एल. डी. प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रत्यर्थी-कंपनी की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया था। लिमिटेड और मेसर्स जिंजर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड 5/- रुपये प्रति शेयर के रियायती मूल्य पर Rs.19,10,000/- की कुल राशि के लिए। यह तथ्य की बात है कि प्रतिवादी के दो निदेशक-कंपनी

(अर्थात्। श्रुति गोयनका और रितु गोयनका) ने भी बाद की खरीदार कंपनी में निदेशक पद संभाला। 6. तदनुसार, आयकर उपायुक्त (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण) ने 2016 के अधिनियम की धारा 24 (1) का आह्वान करते हुए प्रतिवादी कंपनी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी कियाः

2016 के अधिनियम की धारा 2 (8) के अर्थ के भीतर उपरोक्त संपत्ति को बेनामी संपत्ति और प्रतिवादी कंपनी को बेनामीदार क्यों नहीं माना जाना चाहिए। 06.09.2017 पर, प्रत्यर्थी-कंपनी ने उपरोक्त कारण दर्शाएँ नोटिस का जवाब दिया, जिसमें इस बात से इनकार किया गया कि अनुसूचित संपत्ति एक बेनामी संपत्ति है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

7. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 24.11.2017 के आदेश द्वारा पारित किया

2016 अधिनियम की धारा 24 (4) (बी) (आई) के तहत एक आदेश, अस्थायी रूप से संलग्न

संपत्ति।

8. उपरोक्त कुर्की आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (2017 का डब्ल्यू. पी. संख्या 687 होने के नाते) दायर की। उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को 12 सप्ताह के भीतर कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश के साथ किया गया था।

9. पीड़ित, प्रतिवादी-कंपनी ने 2019 का ए. पी. ओ. संख्या 8 होने के कारण उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

10. उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.12.2019 के विवादित आदेश के माध्यम से, दिनांकित 29.08.2017 के कारण बताएँ नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि 2016

अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी अनुप्रयोग नहीं है।

(i) 2016 का संशोधन अधिनियम, जो लागू हुआ

01.11.2016 , 'बेनामी संपत्ति और बेनामी लेन-देन' की परिभाषा को प्रतिस्थापित और विस्तारित करने वाला एक नया और मूल कानून था, और 01.11.2016 से पहले की गई अवधि या लेन-देन के लिए पूर्वव्यापी संचालन करने के लिए, उस प्रभाव का एक प्रावधान विशेष रूप से उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया जाना चाहिए था; उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, केवल धारा 1 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के आधार पर।

1988 अधिनियम [जो 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा अपरिवर्तित रहा, और परिणामस्वरूप बेनामी अधिनियम के तहत बरकरार रखा गया है], 2016 के संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को निहित रूप से पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है;

((ख)

संदर्भ दिया गया था और उस पर निर्भरता रखी गई थी विद्वान एकल न्यायाधीश का गैर-सूचित निर्णय

राजस्थान उच्च न्यायालय ने निहारिका जैन बनाम के मामले में 12.07.2019 दिनांकित किया। भारत संघ [S.B.C.W.P. संख्या 2915/2019], जिसमें, जोसेफ के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद इशरत वी। श्रीमती रोजी निशिकांत गायकवाड़ [एस. ए. सं. 749/2015; यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) के तहत निहित संरक्षण के संदर्भ में, 2016 का संशोधन

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अधिनियम, संशोधन, अन्य बातों के साथ, "बेनामी" की परिभाषा

लेन-देन ", को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सका, और उक्त (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से लाए गए संशोधन केवल उक्त संशोधन अधिनियम के अधिनियमन/लागू होने की तारीख से प्रभावी होंगे, यानी 01.11.2016 पर या उसके बाद-इस संबंध में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया था

ए. आई. आर. 1953 एससी 394; 1988 का अधिनियम, जो 19.05.1988 पर लागू हुआ [सिवाय इसके कि

05.09.1988] , प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान एक "बेनामी लेनदेन" में, जिसे गैर-संज्ञेय बना दिया गया था

1988 के अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तंत्र का अस्तित्व, कभी अधिसूचित नहीं किया गया था-इसलिए, हालांकि 1988 अधिनियम कानून पुस्तिका का हिस्सा था, इसे एक "मृत पत्र" के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और सभी लेनदेन और संपत्तियों पर आरोप लगाया गया था।

' 19.05.1988 और 01.11.2016 की अवधि के बीच किए गए/अर्जित किए गए 'बेनामी' को सरकार द्वारा वैध 'निहित अधिकार' के रूप में स्वीकार किया गया माना गया था।

इस तरह के कथित लेन-देन के लिए पक्षकार; इसलिए, केंद्रीय

सरकार ने 1988 के अधिनियम के कार्यान्वयन और संचालन के अपने अधिकार को इससे पहले की अवधि के लिए माफ कर दिया था।

01.11.2016 , अब अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं 2016 के संशोधन अधिनियम का पूर्वव्यापी संचालन।

उपरोक्त आक्षेपित आदेश से दुखी, भारत संघ

इस न्यायालय के समक्ष।

उम्बमिशनश्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ('ए. एस. जी.')

निम्नानुसार नेतृत्व किया गयाः

पूर्व-संशोधन अधिनियम के अनुसार, उनके खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए कोई तंत्र या प्रक्रिया नहीं थी बेनामी लेनदेन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ इंडिया और ए. एन. आर. को सुधारने के लिए।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

प्रक्रिया की कमी की यह शरारत, संशोधन अधिनियम, जो एक समेकित अधिनियम था, लाया गया था।

यह कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए, बल्कि 1988 के अधिनियम को लागू करने के लिए केवल प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व

यह तय कानून है कि प्रक्रियात्मक कानून लागू किया जा सकता है। पूर्वव्यापी रूप से, और पूर्वव्यापी आवेदन के खिलाफ प्रतिबंध केवल मूल कानून पर लागू होता है।

मौजूदा अधिनियम में संशोधन लाने और नया कानून नहीं बनाने का विधायी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संशोधन पूर्व अधिनियम के लागू होने के दौरान बेनामी लेनदेन में लगे व्यक्तियों को कोई छूट न दी जाए।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 5 और धारा 27 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि बाद वाला वह तंत्र प्रदान करता है जिसके माध्यम से बेनामी संपत्ति हो सकती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जब्त किया गया। धारा 27 (3) के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा जब्ती का आदेश पारित किया जाता है, तो संपत्ति में अधिकार केंद्र में निहित होते हैं।

सरकार। यह दोहराया गया कि ज़ब्ती एक नहीं है

दंडात्मक प्रावधान के नागरिक परिणाम भी हैं। दोनों, अधिग्रहण और ज़ब्ती प्रकृति में नागरिक हैं, और इसलिए, उनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। अतः किसी भी

संशोधन अधिनियम, जो प्रकृति में समेकित हो रहा है, में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो प्रकृति में ज़ब्त करने वाले हैं और इन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। इसके लिए विद्वान ए. एस. जी. ने योगेंद्र कुमार जयस्वाल बनाम का उल्लेख किया। बिहार राज्य,

(2016) 3 एस. सी. सी. 183, पैरा 149, और प्रस्तुत किया कि इसमें

निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ज़ब्ती कोई दंड नहीं है, और यह कि अनुच्छेद 20 (1) आकर्षित नहीं है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायनिर्णायक द्वारा लगाई गई जब्ती

प्राधिकरण किसी भी सजा के बराबर नहीं होगा, और यह केवल विचाराधीन व्यक्ति की संपत्ति से वंचित करना है।

विद्वान ए. एस. जी. ने मिथलेश कुमारी बनाम का भी उल्लेख किया। प्रेम बिहारी खरे, (1989) 2 एस. सी. सी. 95, पैरा 21, प्रस्तुत करने के लिए [2022] 12 एस. सी. आर.

कि आवश्यक निहितार्थ से, संशोधित अधिनियम के तंत्र और प्रक्रियात्मक प्रावधान पूर्वव्यापी प्रकृति के हैं।

12.2 विद्वान ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया हैः

संसद के पास पूर्वव्यापी कानून बनाने की शक्ति है

आई.

आपराधिक क़ानून के मामले में भी कानून, जब तक कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का अनुपालन करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार, निषेध केवल पूर्व-वास्तविक कानून की दोषसिद्धि और सजा पर मौजूद है।

और इस तरह के कानून को पारित करने के खिलाफ नहीं। ज़ब्त करना, अधिग्रहण करना और ज़ब्त करना दंड नहीं हैं

ii.

और इसलिए अनुच्छेद 20 (1) प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायनिर्णयन की कार्यवाही भी अभियोजन की प्रकृति में नहीं है और इसलिए यह नहीं हो सकता है

अनुच्छेद 20 द्वारा प्रतिबंधित।

क्षतिपूर्ति का भुगतान किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण

iii.

ज़ब्त करने के लिए राशि, और ज़ब्त एक नागरिक की परिकल्पना करता है

दायित्व।

12.3 डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए रिंग ने निम्नानुसार तर्क दिया हैः

आई. 1988 के अधिनियम ने इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया।

पीछे की ओर। संसद ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि जब 1988 के अध्यादेश को मूल अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो अध्यादेश की घोषणा की तारीख से केवल 1988 के अध्यादेश के प्रावधान जारी रखे गए थे। मूल अधिनियम द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रावधान, अर्थात् धारा 3,5 और 8, केवल उस तारीख से संभावित रूप से लागू किए गए थे जिस दिन मूल अधिनियम लाया गया था।

प्रभाव पड़ता है।

2016 के अधिनियम का उद्देश्य पूर्वव्यापी नहीं था

ii.

उसी के रूप में लागू स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। संसद

2016 के अधिनियम को एक निर्धारित तिथि से लागू करने के लिए इसे केंद्र सरकार पर छोड़ना उचित समझा गया।

आधिकारिक राजपत्र, जैसा कि 2016 की धारा 1 (2) में उल्लिखित है

एक्ट करें।

यह आगे तर्क दिया गया कि जब क़ानून बनता है

iii.

बेनामी लेन-देन के संबंध में अलग-अलग दंड भारत संघ और ए. एन. आर. में दर्ज किए गए।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

प्रकृति।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी आर के मामलों पर भरोसा किया।

iv.

राजगोपाल रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन, (1995)

2 एस. सी. सी. 630 और मंगथाई अम्मल बनाम। राजेश्वरी, (2020)

17 धारा 4 (1), 4 (2) और 3 (2) के संदर्भ में एस. सी. सी. 496

मूल अधिनियम का, यह तर्क देने के लिए कि उपर्युक्त

प्रावधान प्रकृति में संभावित हैं।

यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा 2 (9) का अंतःस्थापन

वी.

अपराध का दायरा बढ़ाकर। असंशोधित अधिनियम में, केवल संपत्ति का हस्तांतरण एक अपराध था। हालाँकि, 2016 के अधिनियम ने बेनामी लेनदेन की श्रेणी के तहत अपराध के रूप में कई अन्य कार्रवाइयों को जोड़ा है। यह एक अच्छी तरह से बसा हुआ है कानून का सिद्धांत कि कोई भी अधिनियम जो काफी हद तक

लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है जिसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है,

और इसलिए, संशोधित 2016 अधिनियम केवल हो सकता है

प्रकृति में संभावित। इसके लिए, आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I के मामले में इस न्यायालय का निर्णय,

नई दिल्ली बनाम. वाटिका टाउनशिप प्रा. लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 1

पर भरोसा किया गया।

13. PRACTICE _ OF _ PROPERTIES _ HELD _ BENAMI _ IN में प्रवेश

भारत

13.1 पक्षकारों को सुनने के बाद, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि

भारत में बेनामी लेनदेन के इतिहास का पता लगाएं। बेनामी शब्द

'लेन-देन' का आम तौर पर तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है, यानी, एक नाम ऋणदाता, और खरीदार संपत्ति में लाभकारी हित नहीं रखता है। शाब्दिक रूप से 'बेनामी' का अर्थ है

'बिना नाम के'। सबसे सरल उदाहरण यह है कि यदि व्यक्ति 'ए' (वास्तविक मालिक) 'सी' (बेनामीदार/प्रत्यक्ष मालिक) के नाम पर 'बी' से संपत्ति खरीदता है, जिसमें 'ए' संपत्ति पर अधिकार/ब्याज का प्रयोग करता है।

13.2 'बेनामी' शब्द, जो इस अवधि के दौरान वैधानिक कानून से अलग था।

औपनिवेशिक शासन और गणराज्य के शुरुआती दिनों में, वकीलों की कानूनी भाषा में जाना जाता था। यहाँ तक कि मुसलमान कानून में भी, जैसे

लेन-देन को आम तौर पर फरज़ी या फरज़ी के रूप में संदर्भित किया जाता था, जो [2022] 12 एस. सी. आर. से प्राप्त होता था।

अरबी शब्द फुराज़। 1 समय के साथ, यह अस्पष्ट अवधारणा इसके मूल रूपों के संबंध में अधिक स्पष्टता के बिना मामलों में दिखाई दिया। अवधारणात्मक रूप से, दो विचार हैं जो सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं

बेनामी। पहला विचार यह है कि बेनामीदार संपत्ति पर अधिकार नहीं रखता है, और दूसरा विचार यह है कि हालांकि शीर्षक बेनामीदार को जाता है, वह इसे विश्वास में रखता है।

13.3 आखिरकार, दो मुक्त श्रेणियां विकसित हुईं

जिन लेन-देनों को बोलचाल की भाषा में बेनामी कहा जाता था, जिन्हें निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा सकता हैः

त्रिपक्षीयः ' बी 'एक संपत्ति' ए '(वास्तविक मालिक) को बेचता है, लेकिन

(i.)

बिक्री विलेख में 'सी' को मालिक/बेनामीदार के रूप में उल्लेख किया गया है।

((ii.) द्विदलीयः ' ए 'बिना पास करने के इरादे के' बी 'को संपत्ति बेचता है

शीर्षक 'बी'।

या "शिथिल" बेनामी लेनदेन। श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, मद्रास, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 49 बोलते हुए पीठ के लिए, न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने कहा कि लेनदेन की पहली श्रेणी को 'आमतौर पर' बेनामी कहा जाता है, जबकि दूसरी श्रेणी को 'कभी-कभी' बेनामी लेनदेन माना जाता है। उन्होंने कहा कि इसका "शायद सटीक रूप से उपयोग नहीं किया गया है"। ठाकुर भीम सिंह बनाम। ठाकुर

कान सिंह, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 727, वेंकटरमैया, जे. ने सीधे तौर पर पहली श्रेणी को बेनामी कहा, लेकिन दूसरी श्रेणी को "शिथिल रूप से" बेनामी कहा। यह अंतर प्रासंगिक है और बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा।

13.4 कई कारण, कुछ वांछनीय और कुछ अवांछनीय,

भारत में इस तरह की प्रथा के प्रसार के लिए सहायक कारक थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैंः

((i)

हिंदू संयुक्त परिवार के परिवारों के लिए गुप्त प्रावधान

प्रणाली; 2

राजनीतिक और सामाजिक जोखिम का शमन;

((ख)

1 मैकनॉटन की चयनित रिपोर्ट खंड। आई, पी पर रिपोर्टर का नोट। 368 . 2 वेस्ट एंड बुहलर, 'हिंदू लॉ', (चौथा संस्करण), पृ. 157 , 563 . 3 पोलक, द लॉ ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक इन ब्रिटिश इंडिया (1894), पृष्ठ 83-84।

आयन ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

(iii)

ऋणदाताओं को धोखा देना; 4

((iv)

करों की चोरी।

13.5 इस तरह के लेन-देन की न्यायिक मान्यता में आया

19 औपनिवेशिक अदालतों के तहत वीं शताब्दी। माउंट में। बिलास कुंवर बनाम।

ए. जे. रंजीत सिंह, ए. आई. आर. 1915 पी. सी. 96, प्रिवी काउंसिल ने कहा

:

" तालुकदार की मृत्यु तक स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि

खरीद एक बेनामी लेनदेन था; हिंदुओं के लिए एक सामान्य सौदा

और मुसलमान समान रूप से, और भारत में बहुत उपयोग में है; यह काफी है

निर्विवाद और के सिद्धांत के लिए एक जिज्ञासु समानता है

हमारा अंग्रेजी कानून है कि कानूनी संपत्ति का विश्वास आदमी को होता है

जो खरीद के पैसे का भुगतान करता है, और यह फिर से सादृश्य का अनुसरण करता है

हमारे सामान्य कानून का, कि जहां एक धोखाधड़ी के बिना किया जाता है फीओफर के उपयोग के परिणामों पर विचार करें।

पंजाब प्रांत में v. दौलत सिंह, आकाशवाणी (29) 1942 एफ. सी. 38,

न्यायालय, ऐसे लेन-देनों की औचित्य का मूल्यांकन करते हुए,

वेद निम्नानुसार हैः

" इस देश में कभी-कभी यह धारणा प्रचलित रही है कि सभी बेनामी हैं

लेन-देन को निंदनीय और अनुचित माना जाना चाहिए यदि

अवैध नहीं; लेकिन, 1915 के अंत में, सर जॉर्ज फारवेल, वितरित करते हुए

37 सभी में न्यायिक समिति का निर्णय। 557 बात की। उन्हें 'काफी गैर-आपत्तिजनक' के रूप में और उनके अनुरूप होने के रूप में

अंग्रेजी कानून; और श्री अमरीर अली, का निर्णय देते हुए 46 कैल में समिति। 566 , देखा कि "कुछ भी नहीं है

इसमें स्वाभाविक रूप से गलत है, और यह अपने वैध दायरे में,

लोगों के विचारों और आदतों के साथ "। जैसा कि संकेत दिया गया है

योग्य शब्द "इसके वैध दायरे के भीतर", उनके प्रभुता '

अवलोकन स्पष्ट रूप से लेन-देन को स्वीकार करने के लिए नहीं थे धोखाधड़ी या अवैध उद्देश्यों के लिए प्रवेश किया गया।

13.6 जयदयाळ पोद्दार बनाम। बीबी हाजरा, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 171, यह

टी ने यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया कि क्या कोई लेनदेन बेनामी है या नहीं।

निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिएः

((i) जिस स्रोत से खरीद का पैसा आया था;

((ख) खरीद के बाद संपत्ति की प्रकृति और कब्जा;

. भट्टाचार्य, संयुक्त हिंदू परिवार, (टैगोर लॉ लेक्चर) (1884-85) पेज।

लेन-देन को बेनामी रंग देने का उद्देश्य, यदि कोई हो;

(iii)

((iv)

पक्षों की स्थिति और संबंध, यदि कोई हो,

दावेदार और कथित बेनामीदार के बीच।

(v)

स्वामित्व की अभिरक्षा-बिक्री के बाद विलेख, और

(vi)

संबंधित पक्षों का व्यवहार

बिक्री के बाद संपत्ति।

13.7 न्यायपालिका इस सामान्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आई कि कानून में, वास्तविक मालिक को प्रत्यक्ष मालिक पर मान्यता दी जाती है। इस सिद्धांत में कुछ वैधानिक अपवाद थे, हालांकि सीमित, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 66 उन संपत्तियों के संबंध में जिसमें अदालतों द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं; और आयकर की धारा 281 ए। अधिनियम, 1961, जो मूल मालिक द्वारा बेनामी संपत्ति पर अपने अधिकार को लागू करने के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है, केवल तभी जब उसे कर लगाने के उद्देश्य से घोषित किया जाता है, जैसा कि इसके तहत प्रावधान किया गया है। आयकर के तहत ऐसा प्रावधान

अधिनियम इस तरह के बेनामी लेनदेन को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता था, बल्कि यह केवल उन्हें वैध बनाने और कराधान के दायरे में लाने का प्रयास करता था। इस तरह के प्रावधान ने, कराधान के दायरे से परे लेनदेन को हतोत्साहित करते हुए, इसे मान्यता देने में सकारात्मक कारकों को भी अनिवार्य रूप से स्वीकार किया था। इसके अलावा, यह तथ्य की बात है कि भारतीय न्यास अधिनियम ने बेनामी लेनदेन के पीछे के सिद्धांत को मान्यता दी है और स्वीकार किया है।

13.8 विधि आयोग की 57 वीं रिपोर्ट (1973) संक्षेप में

उस तारीख को प्रचलित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया हैः तरीका -

" 5.2 वर्तमान स्थिति का सारांश-सामान्य रूप से-बेनामी लेनदेन से संबंधित कुछ बुनियादी बिंदुओं को निम्नानुसार बताया जा सकता हैः

(क) बेनामी हस्तांतरण या लेन-देन का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसे हस्तांतरण जो केवल प्रत्यक्ष मालिक के रूप में कार्य करता है।

वास्तविक मालिक जिसका नाम प्रकट नहीं किया गया है;

(ख)

सवाल यह है कि क्या ऐसा हस्तांतरण या लेनदेन वास्तविक था

या बेनामी लाभार्थी के इरादे पर निर्भर करता है;

ऐसे मामलों में वास्तविक मालिक को लाभार्थी कहा जा सकता है।

((ग)

और प्रत्यक्ष मालिक बेनामीदार।

5 मुरलीधर नारायणदास बनाम। परमानंद लुचमंडस, ए. आई. आर. 1932 बम। 190 ;

राधाकिशन बृजलाल बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1959 बॉम। 102 (वी46 सी40); गुर प्रसाद बनाम। हंसराज, आकाशवाणी (33) 1946 अवध। 144 .

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

5.3 . बेनामी हस्तांतरण का प्रभाव। - बेनामी हस्तांतरण का प्रभाव यह इस प्रकार हैः

(अ)

उसके नाम का नेतृत्व करना; बेनामीदार का कोई लाभकारी ब्याज नहीं है, हालांकि वह हो सकता है

(ख)

कानूनी मालिक को तीसरे व्यक्ति के रूप में फिर से प्रस्तुत करें।

((ग)

बेनामी लेनदेन कानूनी है, सिवाय कुछ मामलों के

विशिष्ट परिस्थितियाँ।

(जोर दिया गया)

13.9 1973 की रिपोर्ट से पहले, की वैधता पर व्यापक स्थिति

विभिन्न प्रकार के बेनामी लेनदेन को निम्नानुसार दर्ज किया जा सकता हैः

हस्तांतरण की प्रकृति

वैधानिकता और

एस. एल.

नहीं।

समानताएँ

ए.

पत्नी या बच्चे के पक्ष में स्थानांतरण

धारा 64 द्वारा शासित,

(के उद्देश्य के साथ या नहीं

आय-कर अधिनियम (बिन्दु भी देखें)

पत्नी या बच्चे को शीर्षक हस्तांतरित करना)

मेज पर जी)। [कोई अपराधी
नहीं

दायित्व जब तक मामला नहीं
गिरता

पर्याप्त विचार के बिना

धारा 415 से 424 के
भीतर या

भारतीय का अनुभाग 206-
207

दंड संहिता]

धारा 6 (एच) (2) द्वारा
शासित

पत्नी या बच्चे के पक्ष में स्थानांतरण

बी.

विचार, लेकिन एक धोखाधड़ी के लिए

और हस्तांतरण की धारा 58

उद्देश्य और अच्छे विश्वास में नहीं

संपत्ति अधिनियम। [अपराधी

दायित्व यदि मामला इसके
अंतर्गत आता है

धारा 415 से 424 या
धारा
206-207 भारतीय दंड संहिता]

पत्नी या बच्चे के पक्ष में हस्तांतरण जो किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता है

एस.

विचार, और वास्तविक उद्देश्य के साथ। (कोई आपराधिक दायित्व नहीं) पत्नी या बच्चे को अधिकार हस्तांतरित करने का

किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण

किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है।

डी.

(कोई आपराधिक दायित्व नहीं)

(1) बिना पत्नी या बच्चे के

स्थानांतरण का वास्तविक उद्देश्य शीर्षक और बिना किसी धोखाधड़ी के

उद्देश्य

किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण

की धारा 281 ए द्वारा शासित

((ii) बिना पत्नी या बच्चे के

आयकर अधिनियम, 1961 (यह भी देखें)

विचार करें, और बिना

तालिका में बिंदु जी)। [कोई अपराधी नहीं

शीर्षक स्थानांतरित करने का इरादा, लेकिन के साथ

दायित्व]

कोई धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं।

((iii) किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण।

धारा 6 (एच) (2) द्वारा

शासित

बिना पत्नी या बच्चे के

और हस्तांतरण की धारा 53

संपत्ति अधिनियम। [अपराधी

विचार के साथ और इरादे के साथ

दायित्व यदि मामला इसके

अंतर्गत आता है

स्थानांतरण शीर्षक, लेकिन एक के लिए

धोखाधड़ी का उद्देश्य और इसमें नहीं

धारा 415 से 424 या

धारा

अच्छी आस्था।

206-207 भारतीय दंड

संहिता]

((iv) किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण

की धारा 281 ए द्वारा

शासित

आयकर अधिनियम, 1961

(देखें)

बिना पत्नी या बच्चे के

विचार करना, बिना इरादे के

तालिका में बिंदु जी)।

अनुभाग भी

हस्तांतरण शीर्षक और धोखाधड़ी के लिए

6 (ज) (2) और धारा 59,

सम्पत्ति हस्तान्तरण

अधिनियम।

उद्देश्य।

(यदि मामला गिरता है तो

आपराधिक दायित्व

की धारा 415 से 424 के

भीतर

भारतीय दंड संहिता या धारा

206-207 उस कोड का)

इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण

धारा 6 (एच) (जी) द्वारा

शासित

ई.

और धारा 53, का हस्तांतरण

विचार के लिए पत्नी या बच्चा,

संपत्ति अधिनियम। (

आपराधिक दायित्व

शीर्षक स्थानांतरित करने का इरादा, लेकिन एक के लिए

यदि मामला धारा 415 के

अंतर्गत आता है

धोखाधड़ी का उद्देश्य और अच्छा नहीं

आस्था।

भारतीय दंड संहिता की धारा

424 या

उस कोड की धारा 206-

207

इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण

किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है।

एफ.

विचार के साथ पत्नी या बच्चा, लेकिन

स्वामित्व और बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे

जी.

किसी भी व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण

कर चोरी को रोकने का उद्देश्य

काफी हद तक हासिल किया

बेनामी (यानी बिना किसी विचार के)

और स्थानांतरण का कोई वास्तविक इरादा नहीं)

बिना स्थापित किए गए मुकदमे को प्रतिबंधित करना

कराधान को सूचित करना

अधिकारीगण। धारा 239 ए देखें,
आय कर अधिनियम (द्वारा जोड़ा गया)

1972 का अधिनियम 45)

13.10 यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि विधि आयोग,

अपनी उपरोक्त 57 वीं रिपोर्ट के माध्यम से, इसे स्वीकार करना उपयुक्त नहीं पाया बेनामी लेन-देन को अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने का कड़ा प्रावधान

कार्रवाई। बल्कि, इसने कुछ कम कठोर, नागरिक विकल्पों को निम्नलिखित तरीके से अपनाने की सिफारिश कीः

" 6.3 . बेनामी लेनदेन को विनियमित करने के लिए संभावित विकल्प। - संदर्भ के साथ कई संभावित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

बेनामी लेन-देन को रोकने या विनियमित करने से बचने के लिए

निजी व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह या मुकदमेबाजी को कम करनाः

भारत और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

(i) बेनामी लेन-देन में प्रवेश को अपराध बनाया जा सकता है।

((ii) एक प्रावधान इस प्रभाव से अधिनियमित किया जा सकता है कि एक दीवानी मुकदमे में

बेनामी के आधार पर संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से बेनामीदार के खिलाफ या किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ अधिकार लागू नहीं किया जाएगा। बेनामी।

(iii) के पक्ष में एक परिणामी ट्रस्ट की वर्तमान धारणा जिस व्यक्ति ने प्रतिफल प्रदान किया है, वह अग्रिम की धारणा से (इंग्लैंड की तरह) विस्थापित हो सकता है, ऐसे मामलों में जहां वह व्यक्ति जिसे संपत्ति हस्तांतरित की गई है, वह उस व्यक्ति का निकट संबंधी है जिसने प्रतिफल प्रदान किया है। (यह उन्नति के सिद्धांत को लाएगा, ताकि न्यास अधिनियम की धारा 82 के तहत परिणामी न्यास की धारणा का खंडन किया जा सके)।

जो भी विकल्प अपनाया जाए, एक संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक द्वारा सह-खरीददारों में से एक के नाम पर किए गए अधिग्रहण और इसी तरह के मामलों के लिए अपवाद बनाना वांछनीय हो सकता है।

..... 6.24 . पहला विकल्प प्रभावी होने की संभावना नहीं-द अर्स्ट

ऊपर उल्लिखित विकल्प, अर्थात्, बेनामी लेनदेन के खिलाफ आपराधिक निषेध का अधिरोपण, सबसे कठोर है।

वैकल्पिक, लेकिन यह दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, आपराधिक प्रतिबंधों द्वारा समर्थित निषेध तब तक वांछनीय नहीं होगा जब तक कि पुरुष अधिकार को भी अधिनियमित किए जाने वाले प्रावधान में शामिल नहीं किया जाता है।

यदि इस विकल्प को अपनाया जाना है, तो निम्नलिखित आधारों पर एक प्रावधान लागू किया जा सकता हैः " जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए एक व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित की जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति हस्तांतरणकर्ता के लाभ के लिए ऐसा प्रतिफल देने या प्रदान करने का इरादा नहीं रखता है, तो प्रतिफल का भुगतान करने वाला या प्रदान करने वाला व्यक्ति [2022] 12 एस. सी. आर.

तीन वर्ष तक के कारावास या एक या दोनों से दंडनीय अपराध का दोषी होगा। बशर्ते कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां हस्तांतरणकर्ता किसी हिंदू अविभाजित परिवार में सह-भागीदार है जिसमें ऐसा अन्य व्यक्ति भी सह-भागीदार है, और यह साबित होता है कि ऐसा अन्य व्यक्ति लाभ के लिए ऐसा प्रतिफल देने या प्रदान करने का इरादा रखता है।

परिवार में सह-खरीददार।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 66 या कोई प्रावधान उसके समान "।

मेन्स रिया की आवश्यकता के साथ पहले विकल्प को प्रभावी बनाने के लिए एक और उपकरण निम्नलिखित तर्ज पर एक कानून होना होगाः

" जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए एक व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित की जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति हस्तांतरणकर्ता के लाभ के लिए ऐसा प्रतिफल देने या प्रदान करने का इरादा नहीं रखता है, तो भुगतान करने वाला व्यक्तिः या प्रदान करना

प्रतिफल, यदि उसने किसी कानून की चोरी को सुविधाजनक बनाने या अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के दावों को विफल करने के इरादे से हस्तांतरण किया है, तो दंडनीय अपराध का दोषी होगा।

तीन साल तक की कैद, या एक या दोनों के साथ।

पहले विकल्प को प्रभावी बनाने के लिए एक और उपकरण भारतीय दंड संहिता में एक धारा जोड़ना होगा जो इस प्रकार हैः

" 421 ए. जो कोई भी, बेईमानी से या धोखाधड़ी से कारण बनता है

किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संपत्ति को, जिसके लिए उसने हस्तांतरण का भुगतान किया है या प्रतिफल प्रदान किया है, जिससे वह अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच कानून के अनुसार उस संपत्ति के वितरण को रोकने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह से रोक देगा।

इस प्रकार सुविधा प्रदान करने के लिए, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि वह किसी भी कानून की चोरी को सुविधाजनक बनाएगा, किसी भी विवरण के कारावास से एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो

दो साल तक बढ़ाएँ, या एक के साथ। या दोनों के साथ।

6.25 . दूसरा विकल्प। - दूसरा विकल्प अर्स्ट की तुलना में कम कठोर है। रूप में। यह मौजूदा वैधानिक प्रावधान का पालन कर सकता है।

भारत और ए. एन. आर. जैसे बेनामी लेनदेन की न्यायिक मान्यता को सीमित करना।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

धारा 66। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। लेकिन इसका दायरा बहुत व्यापक होगा। यह प्रावधान इस प्रभाव से हो सकता है कि बेनामी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा, या तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई है या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जो संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करता है, इस आधार पर कि वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई है, दावेदार का बेनामीदार है। (यदि आवश्यक हो, तो एक बचाव को भी रोका जा सकता है)।

... .

6.27 . बेनामी को मान्यता देने के लिए दूसरा वैकल्पिक इनकार पसंद किया गया। - हमारी राय में, सबसे सरल विकल्प दूसरा विकल्प होगा। कानून को इसे मान्यता देने से इनकार कर देना चाहिए।

लेन-देन का बेनामी चरित्र, उन्हें अपराध बनाए बिना। कानून को वास्तव में यह प्रावधान करना चाहिए कि जहां संपत्ति बेनामी हस्तांतरित की जाती है, वहां बेनामीदार वास्तविक मालिक बन जाएगा। इस तरह के प्रावधान का परिणाम यह होगा कि यह तथ्य कि बेनामीदार ने प्रतिफल प्रदान नहीं किया था, या कि प्रतिफल किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया था, बेनामीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मालिक के रूप में मान्यता देने का आधार नहीं होगा। इस मामले को व्यापक शब्दों में कहें तो प्रस्तावित संशोधन के तहत बेनामी का सिद्धांत भारतीय कानून का हिस्सा नहीं रहेगा।

यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित प्रावधान को लागू करने में, विधायिका अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएगी, जो सचित्र प्रवृत्ति है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 66 जैसे प्रावधानों द्वारा। संहिता की धारा अनैच्छिक अलगाव पर लागू होती है, जबकि प्रस्तावित प्रावधान स्वैच्छिक लेनदेन पर भी इसी सिद्धांत का विस्तार करेगा।

संशोधन से कानूनी स्थिति में बदलाव आएगा। कुछ परिस्थितियाँ जहाँ वर्तमान में बेनामी चरित्र को फिर से पहचाना जाता है।

6.27 A. हमारा यह भी विचार है कि अधिनियम बनाना आवश्यक नहीं है

पाठ्यक्रम कौन सा है

आपराधिक दंड को आकर्षित करने वाला निषेध

पहले विकल्प में सुझाए गए। इस तरह के निषेध को पुरुषों की आवश्यकता के अनुसार लागू करना होगा, इस प्रकार इसका दायरा कम हो जाएगा और इसकी व्यावहारिक उपयोगिता सीमित हो जाएगी। "[2022] 12 एस. सी. आर.

13.11 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस दौरान संविधान में संपत्ति के अधिकार को लेकर धीमी गति से मंथन चल रहा था। उपरोक्त

संघीय न्यायालयों और प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को एक ऐसे संदर्भ में समझा जाना चाहिए जहां संपत्ति का एक सामान्य सामान्य कानून अधिकार था, जिसने बाद में अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 31 के तहत भारत के संविधान में प्रवेश किया। 1978 में भारतीय संसद ने एक कठोर कदम उठाया और संपत्ति और संपत्ति के इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत संवैधानिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया।

13.12 इसके अलावा, यह एक ऐसा युग था जिसके दौरान भारत ने 'समाजवाद' को अपनाया, जिसे संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया था।

421976 में दूसरा (संशोधन) अधिनियम। में क्रमिक न्यायिक राय

संपत्ति के अधिकार को उस समय की सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जाता था। 13.13 1988 में एक अध्यादेश। बेनामी लेनदेन (संपत्ति की वसूली के अधिकार का निषेध) अध्यादेश, 1988

(1988 का अध्यादेश 2)-जारी किया गया था। यह वैधानिक लिखत संतोषजनक नहीं होने के कारण इसे फिर से विधि आयोग को भेजा गया।

13.14 किसी भी मामले में, विधि आयोग द्वारा वर्ष 1988 में अपनी 130 वीं रिपोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे की फिर से जांच की गई थी। यद्यपि विधि आयोग ने 130 वीं रिपोर्ट को अपनी निरंतरता के रूप में वर्णित किया पहले की सिफारिशों में, यह देखा जा सकता है कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन सुझाए गए थे। कुछ प्रमुख अवलोकन इस प्रकार हैं:

" 3.2 पहला सवाल जो तुरंत हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, वह है प्रस्तावित कानून की चौड़ाई और व्याप्ति। इसके लिए

विभिन्न प्रकार से संबंधित बेनामी लेनदेन शामिल हैं।

संपत्ति के संबंध में, कानून में चल दोनों को शामिल किया जाना चाहिए,

अचल, मूर्त और अमूर्त संपत्ति। दुर्भाग्य से।

हर प्रकार की संपत्ति, जैसे कि भूमि, घर, शेयर,

परक्राम्य उपकरण, बेनामी धारण करने में सक्षम है। इसलिए, यह समान रूप से वैध है कि एक व्यापक

सम्मिलित करके प्रस्तावित विधान का कवरेज

प्रत्येक मूल्यवर्ग की संपत्ति। .....

3.18 इसलिए, दोनों कोणों से देखते हुए, विधि आयोग की दृढ़ राय है कि यह कानून भारत और ए. एन. आर. के अध्यादेश की जगह लेगा।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

संचालन में पूर्वव्यापी भी होना चाहिए और यह कि बेनामी में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को कोई लोकस प्रायश्चित देने की आवश्यकता नहीं है

अतीत में लेनदेन। उनके पास अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए डेढ़ दशक का नोटिस था। अधिक भोग की आवश्यकता नहीं है। .....

... . 4.5 इस अध्याय को समाप्त करने से पहले, यह इंगित करना आवश्यक है

कि कुछ कर कानूनों ने बेनामी लेनदेन पर वैधता की पुष्टि की है और इससे राजस्व संग्रह के रूप में लाभ प्राप्त किया है। इसलिए, यह कहा गया था कि यदि अब सभी बेनामी लेनदेन अमान्य हो जाते हैं और एक पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, तो राजस्व कानूनों को राजस्व का नुकसान होगा। इस संबंध में आय-कर अधिनियम, 1962 की धारा 27 का उल्लेख किया गया था जो गृह संपत्ति से होने वाली आय से संबंधित है। धारा 27 की विभिन्न उप-धाराएँ पति द्वारा पत्नी को संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हैं और इसके विपरीत। इसमें निष्पक्ष संपत्ति का मामला भी शामिल है।

विधि आयोग यह समझने में असमर्थ है कि कैसे बेनामी लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध और धारक को वास्तविक मालिक बनाया जा रहा है

राजस्व कानूनों को विफल कर देगा। यदि एक भाग जाता है, तो दूसरा भुगतान करता है, और यदि यह सुझाव दिया जाता है कि दूसरा कर कानूनों के दायरे में नहीं हो सकता है और दोनों को बेनामी लेनदेन के निषेध और उन्मूलन से लाभ होगा। निकट भविष्य में इस तरह का प्रभाव पैदा हो सकता है लेकिन दीर्घकालिक ब्याज पति और पत्नी के बीच इस तरह के नकली लेनदेन का बचाव करने में मदद करेगा। धारा 22 को तदनुसार पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह बताया गया कि कहाँ

फ्लैटों का हस्तांतरण या तो फ्लैटों का निर्माण करने वाली सहकारी समिति के नियमों द्वारा या दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे अधिकारियों के नियमों द्वारा निषिद्ध है, एक कार्यप्रणाली अस्तित्व में आई है जिसके तहत कानून का उल्लंघन करते हुए फ्लैट बेचा जाता है और खरीदार राशि का भुगतान करेगा और एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी लेगा और कब्जा कर लेगा। यह भी कहा गया कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों ने इस तरह के हस्तांतरण को मान्यता दी है और वित्त अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार आयकर के उद्देश्य से वकील को मालिक माना है। यदि इस तरह के लेन-देन में प्रवेश करने का एकमात्र उद्देश्य मौजूदा कानून का उल्लंघन है जिसे उचित विचार के बाद पारित किया गया है, तो यह समय है कि कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाए और कानून को अपना काम करने की अनुमति दी जाए। राजस्व हानि के नाम पर भी मौजूदा कानूनों के उल्लंघन की रक्षा नहीं की जा सकती है।

4.6 विधि आयोग यह बहुत स्पष्ट करना चाहेगा कि

कर कानूनों के कुछ प्रावधान कालातीत हो सकते हैं।

विधि आयोग के वर्तमान दृष्टिकोण के कारण। यह है।

अपरिहार्य है। कर कानून उस समय बनाए गए थे जब बेनामी थी।

यह भारतीय कानून का हिस्सा था। इस तरह के कानूनों का पालन करना होगा कानूनी आदेश को बदलना। फिर भी इस संबंध में एक और समाधान प्रस्तुत किया गया है।

अगले अध्याय में "।

(जोर दिया गया)

14. 1988 के अधिनियम के तहत फ्रेमवर्क

14.1 यह हमें 1988 के तहत वैधानिक ढांचे में लाता है।

नौ धाराओं वाला असंशोधित अधिनियम। धारा 2 (ए) बेनामी लेनदेन को किसी भी ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित करती है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए एक व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। कानून ने केवल त्रिपक्षीय बेनामी लेनदेन को शामिल करने का विकल्प चुना, जबकि द्विदलीय/शिथिल रूप से बेनामी लेनदेन के रूप में वर्णित, परिभाषा से बाहर रखा गया था। नकली/द्विदलीय व्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए उपरोक्त परिभाषा को पढ़ें।

यह दायरा आपराधिक कानून के सख्त अध्ययन के खिलाफ होगा और न्यायिक अतिक्रमण के बराबर होगा।

14.2 उपरोक्त परिभाषा बेनामी के सार को नहीं समझती है।

व्यापक सूत्रीकरण के रूप में लेन-देन में कुछ प्रकार के वैध लेनदेन शामिल हैं।

लेन-देन भी। हस्तांतरणकर्ता/संपत्ति धारक की संपत्ति में लाभकारी हित की कमी एक महत्वपूर्ण घटक थी, जैसा कि वर्षों की न्यायिक घोषणाओं और आम बोलचाल से तय किया गया था, और पाया गया कि

अधिनियम में दी गई परिभाषा में पूरी तरह से अनुपस्थित है। उपरोक्त धारा 2 (ए) के शाब्दिक अनुप्रयोग पर, निम्नलिखित लेनदेन अधिनियम के जाल में पकड़े जा सकते थेः

' ए 'अपने बेटे की पत्नी' बी 'के नाम पर संपत्ति खरीदता है, क्योंकि

(अ)

व्यक्ति 'Y' से बेटे के परिवार का लाभ,

बेटे के लिए एक उपहार के रूप में विचार करें, और उस पर उपहार कर का भुगतान करें।

' ए 'जो बूढ़ा और कमजोर है, अपने नाम पर संपत्ति खरीदता है।

(ख)

'बी' का, यह इरादा रखते हुए कि 'बी' के विश्वास में संपत्ति होगी

'ए' का पुत्र, जो मंदबुद्धि है।

((ग)

एक फर्म 'एक्स' काम करने वाले के नाम पर संपत्ति खरीदती है।

फर्म 'एक्स' के लाभ के लिए भागीदार 'बी',

फर्म के कोष से भुगतान।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

14.3 1988 के अधिनियम की धारा 2 (सी) संपत्ति को संपत्ति के रूप में परिभाषित करती है।

किसी भी प्रकार का, चाहे वह चल हो या अचल, मूर्त या अमूर्त, और इसमें ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार या ब्याज शामिल है। यह परिभाषा सभी प्रकार की संपत्ति की व्यापक और समावेशी प्रतीत होती है और इसमें विभिन्न अधिकार और हित शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि संपत्ति का उपरोक्त व्यापक निर्माण पहली बार 130 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में हुआ था। परिभाषा विस्तार पहली बार 1988 में ही शुरू किया गया था और 57 वीं रिपोर्ट (1973) के दौरान इस पर कभी विचार नहीं किया गया था। यह पहलू

यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और बाद में पूर्वव्यापीता के प्रश्न का विश्लेषण करते हुए संबोधित किया जाएगा।

3. बेनामी लेन-देन का निषेध-(1) कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा किसी भी बेनामी लेनदेन में प्रवेश करें।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या अविवाहित बेटी के नाम पर संपत्ति की खरीद पर लागू नहीं होगी और

यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि उक्त संपत्ति उसकी पत्नी के लाभ के लिए खरीदी गई थी।

अविवाहित बेटी।

(3) जो कोई भी बेनामी लेन-देन करता है, उसे तीन साल तक के कारावास या कारावास की सजा हो सकती है। ठीक के साथ या दोनों के साथ।

(4) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), इस धारा के तहत एक अपराध गैर-संज्ञेय और जमानती होगा।

धारा 3 एक निषेधात्मक प्रावधान प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के कार्य को अपराधी बनाना था।

14.5 धारा 4 निम्नलिखित रूप में उल्लिखित हैः

4. बेनामी संपत्ति की वसूली के अधिकार का निषेध

(1) किसी के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा, दावा या कार्रवाई नहीं

ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की ओर से। (2) बेनामी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार के आधार पर कोई बचाव नहीं, चाहे वह उस व्यक्ति के खिलाफ हो जिसके नाम पर संपत्ति हो।

किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या उसके खिलाफ आयोजित किया जाता है, किसी भी मुकदमे में अनुमति दी जाएगी, [2022] 12 एस. सी. आर.

ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दावा या कार्रवाई।

((क) जहाँ वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई है, वह हिंदू अविभाजित परिवार में सह-भागीदार है और संपत्ति परिवार में सह-भागीदारों के लाभ के लिए रखी गई है; या
((ख) जहाँ वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति है, वह न्यासी या न्यासी क्षमता में खड़ा अन्य व्यक्ति है, और संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए रखी गई है जिसके लिए वह न्यासी है या जिसके लिए वह ऐसी क्षमता में खड़ा है।

14.6 धारा 5 में कहा गया हैः

5. अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी बेनामी की संपत्ति-(1) सभी संपत्तियाँ धारित बेनामी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण के अधीन होगी, जिसमें

ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद जो हो सके

निर्धारित किया गया।
(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई राशि नहीं

उप के तहत किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए देय होगा खंड (1)।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 5 का उपयोग कभी नहीं किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इसे बनाने के लिए अतिरिक्त वैधानिक समर्थन की आवश्यकता थी प्रभावी कानून। 6

14.7 धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि 1988 के अधिनियम में कुछ भी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 या अवैध उद्देश्य के लिए हस्तांतरण से संबंधित किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करेगा। धारा 6 का उद्देश्य स्वामित्व निहित करना था।

धोखाधड़ी के तरीके से धन का उपयोग करना और उन्हें लेनदारों के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति देना। इसलिए, धारा 6 ने ऐसे मामलों में धारा 4 के अनुप्रयोग को सीमित कर दिया। 14.8 1988 के अधिनियम की धारा 7 ने भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 81,82 और 94 को निरस्त कर दिया; सिविल संहिता की धारा 66

प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5); और आयकर अधिनियम की धारा 281 ए,

6 वित्त पर स्थायी समिति, 16 वीं लोकसभा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2015,28 वीं रिपोर्ट, भाग I।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

1961 (43 1961)। धारा 8 केंद्र सरकार को अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अंतिम धारा, धारा 9 ने पहले के अध्यादेश को निरस्त कर दिया। 14.9 इस अपील में भारत संघ द्वारा रखे गए तर्क का मुख्य जोर यह है कि 2016 के संशोधित अधिनियम ने केवल 1988 के अधिनियम को स्पष्ट किया है। भारत संघ की ओर से उपस्थित विधि अधिकारियों ने इस बात पर अपनी बात रखी कि 1988 के अधिनियम ने पहले ही अपराध को अपराध घोषित करने के लिए पर्याप्त कानून बना दिया था और 2016 के संशोधन केवल थे

1988 के अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए स्पष्टीकरणात्मक और प्रक्रियात्मक। इस तरह की

प्रस्तुत करना हमें 1988 के अधिनियम के कानून की विस्तार से जांच करने और यह समझने के लिए कि क्या 2016 के संशोधन मूल या प्रक्रियात्मक थे, पूर्ववर्ती शासन के दायरे को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य करता है। 14.10 धारा 2 (ए) को धारा 3 के साथ पढ़ने से एक बात स्पष्ट हो जाती है- उपरोक्त प्रावधानों के तहत परिकल्पित आपराधिक प्रावधान।

मेन्स रिया पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं करता है। भारतीय न्यायशास्त्र के तहत, इस विषय पर कानून काफी हद तक व्यवस्थित है। इसे कई मौकों पर इस न्यायालय की न्यायिक जांच के अधीन किया गया है। इसमें विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है और यह सिद्धांतों को दोहराने के लिए पर्याप्त है। मेन्स रिया एक आपराधिक अपराध का एक अनिवार्य घटक है। निःसंदिग्ध रूप से, एक क़ानून मेन्स रिया के तत्व को बाहर कर सकता है, लेकिन यह इंग्लैंड में अपनाया गया निर्माण का एक ठोस नियम है-और भारत में भी स्वीकार किया गया है-एक वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए जो सामान्य कानून के अनुरूप अपराध पैदा करता है।

इसके विरुद्ध, जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा न हो मेन्स रिया को बाहर रखा गया। केवल यह तथ्य कि कानून का उद्देश्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना या एक गंभीर सामाजिक बुराई को समाप्त करना है, जो अपने आप में इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि क्या दोषी मन के तत्व को अपराध के घटकों से बाहर रखा गया है। पुरुषों का राज

आवश्यक निहितार्थ को केवल एक क़ानून से बाहर रखा जा सकता है जहाँ यह है बिल्कुल स्पष्ट है कि क़ानून के उद्देश्य का कार्यान्वयन अन्यथा विफल हो जाएगा। [नाथूलाल वी. का संदर्भ लें। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर 1966 एस. सी. 43]

14.11 उपरोक्त प्रकाश में, इस न्यायालय का पहला प्रयास कानून की व्याख्या करने का प्रयास करना है ताकि पुरुष अधिकार का संकेत दिया जा सके। हालांकि, धारा 2 (ए) की भाषा, धारा 3 के साथ मिलकर, पुरुष अधिकार के पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के उस कार्य को ही अपराधी बनाना है जिस पर विचार किया जा रहा है।

किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए। 57 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में पुरुष अधिकार पहलू पर विशेष रूप से विचार किया गया था और

इसे 1988 के असंशोधित अधिनियम में एकीकृत नहीं किया गया था।

अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करना होगा कि विचार का भुगतान किया गया था या विचार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रदान किया गया था और और कुछ नहीं। सभी न्यायिक उदाहरणों में, इस न्यायालय को यह अवसर मिला है

इस कानून की सिविल पक्ष पर जांच करना और कभी भी आपराधिक पक्ष पर नहीं, जो उच्च मानकों का पालन करेगा। धारा 3 (1) और (2) के तहत सामग्री का धारा 4 के साथ संयोजन, बलपूर्वक निहित पुरुषों के लिए

हाँ, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 14.13 यह ध्यान दिया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर 1988 के अधिनियम की धारा 4 की व्याख्या पर विचार किया है। मिथिला में

कुमारी बनाम। प्रेम बिहारी खरे, (1989) 2 एस. सी. सी. 95, इस न्यायालय को इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या उपरोक्त प्रावधान का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग है, जो निम्नानुसार हैः

" 22. जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (ए) में परिभाषित किया गया है "बेनामी लेनदेन" का अर्थ है कोई भी लेनदेन जिसमें संपत्ति किसी को हस्तांतरित की जाती है।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए व्यक्ति। इसलिए, लेन-देन बेनामी होना चाहिए, चाहे उसकी तारीख या अवधि कुछ भी हो। धारा 3, अपवादों के अधीन, बताती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बेनामी लेनदेन में प्रवेश करेगा। स्पष्ट रूप से इस खंड का पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है। हालांकि, धारा 4 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि इस संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा, दावा या कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बेनामी धारित किसी संपत्ति की, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम पर संपत्ति धारित है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से होगी।

यह स्वाभाविक रूप से पिछले लेनदेन से भी संबंधित है। द.

अभिव्यक्ति "बेनामी धारण की गई कोई भी संपत्ति" इन तक सीमित नहीं है

कोई विशेष समय, तिथि या अवधि। एक बार जब संपत्ति को बेनामी माना जाता है, तो उसके संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा, दावा या कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह, धारा 4 की उप-धारा (2) किसी भी बेनामी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार के आधार पर बचाव को रद्द कर देती है, चाहे वह उस व्यक्ति के खिलाफ हो जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई है या उसके खिलाफ है।

भारत और ए. एन. आर. द्वारा या उसकी ओर से किसी भी मुकदमे, दावे या कार्रवाई में कोई अन्य व्यक्ति।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति का। इसका मतलब है कि एक बार जब किसी संपत्ति को बेनामी पाया जाता है, तो वास्तविक मालिक उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी बचाव से वंचित हो जाता है। जिनके नाम पर संपत्ति है या कोई अन्य व्यक्ति। दूसरे शब्दों में, इसकी व्यापक धारा 4 में पिछले बेनामी की परिकल्पना की गई है।

लेन-देन भी अपनी पूर्व सक्रियता के भीतर। इस अर्थ में यह अधिनियम दंडात्मक और अयोग्य दोनों तरह का कानून है। किसी अर्हता प्राप्त या अयोग्य क़ानून के मामले में यह आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी हो सकता है। के लिए

उदाहरण के लिए जब प्रतिनिधित्व का एक कानून घोषित करता है कि सभी जो

18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके लोग मतदान करने के पात्र होंगे, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वे उतने ही पात्र होंगे जितने वे लोग जिन्होंने कानून के लागू होने के समय उस आयु को प्राप्त किया था। जब कोई अधिनियम प्रकृति में घोषणात्मक होता है तो पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा लागू नहीं होती है। इस तरह के अधिनियम केवल घोषणा करते हैं। बेनामी लेन-देन को अप्रवर्तनीय घोषित करने वाला एक कानून इस प्रकार का है। निहित अधिकार को छीनने के खिलाफ धारणा इस मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि कानून के तहत यह बेनामीदार है जिसके नाम पर संपत्ति है, और कानून ने केवल वास्तविक मालिक को उससे संपत्ति की वसूली करने में सक्षम बनाया है जो अभी है।

अधिनियम द्वारा बंद कर दिया गया। एक मायने में पुनर्प्राप्ति का अधिकार था

या बेनामीदार के खिलाफ असली मालिक का विरोध करें। यूबी जस आईबी रेमेडियम। जहाँ अधिकार है, वहाँ एक उपाय है। जहाँ उपचार वर्जित है, वहाँ अधिकार अप्रवर्तनीय हो जाता है। इस मायने में यह एक अक्षम करने वाला क़ानून है। अधिकार के निर्माण के समय की परवाह किए बिना सभी वास्तविक मालिक विकलांगता प्रावधान से समान रूप से प्रभावित होते हैं। अधिकार कानूनी रूप से संरक्षित हित है। वास्तविक मालिक का अधिकार अब तक संरक्षित था और अधिनियम के परिणामस्वरूप उस संरक्षण को हटा दिया गया है।

23. जब कानून बेनामीदार से बेनामी संपत्ति की वसूली में वास्तविक मालिक के लिए उपलब्ध बचाव को रद्द कर देता है तो बेनामी लेनदेन के समय की परवाह किए बिना कानून लागू होना चाहिए। धारा 4 (1) में अभिव्यक्ति "निहित होगी" और "अनुमति दी जाएगी"

धारा 4 (2) में संभावित हैं और केवल वर्तमान (भविष्य के चरणों) और भविष्य के मुकदमों, दावों या कार्यों पर लागू होंगे। यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि क्या दोनों के बीच कोई वर्तमान मुकदमा था।

प्रतिवादी-वादी और प्रतिवादी-कानून के लागू होने की तारीख को अपीलार्थी। हमने मुकदमा दायर करने की तारीखों और अदालतों के फैसलों को नीचे नोट किया है। अधिनियम की धारा 4 के लागू होने की तारीख को, यानी 19-5-1988 यह अपील [2022] 12 एस. सी. आर. थी।

निश्चित रूप से, यह अभी भी लंबित है। क्या सूट को ही कहा जा सकता है

लंबित है?

(जोर दिया गया)

14.14 उपरोक्त व्याख्या की इस न्यायालय द्वारा पुनः जांच की गई थी।

राजगोपाल रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन, (1995) 2 एससीसी

और आंशिक रूप से सत्ता में रहते हुए-सत्तारूढ़ मितिलेश कुमारी (ऊपर), यह आयोजित किया गया था

देरः

11. ..... इस प्रकार यह तत्कालीन मौजूदा अधिकार को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था

ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करना। अनुभाग के अनुसार 4 (1) अब से ऐसा कोई मुकदमा कब्जे की वसूली के लिए नहीं होगा।

प्रतिवादी द्वारा धारित बेनामी संपत्ति। वादी का यह अधिकार है

प्रभाव को हटाने की मांग की जाती है और इस तरह के एक को लागू करने के लिए कोई भी मुकदमा

धारा 4 (1) अर्थात 19-5-1988 के लागू होने के ठीक बाद,

झूठ नहीं बोलेंगे। विधायिका अपने विवेक में कहीं नहीं है

धारा 4 (1) में उपबंध किया गया है कि ऐसा कोई वाद, दावा या कार्रवाई नहीं धारा 4 के लागू होने की तारीख तक लंबित रहने पर -

इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और कम किया जाएगा। इसके विपरीत,

स्पष्ट विधायी इरादे को "ऐसा कोई दावा नहीं" शब्दों से देखा जा सकता है।

मुकदमा या कार्रवाई निहित होगी ", जिसका अर्थ है कि इस प्रकार कोई मुकदमा, दावा या

कार्रवाई को दायर करने या स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी।

आने के बाद ऐसी राहत मांगने के लिए किसी भी अदालत के पोर्टल धारा 4 (1) का बल। .....

मुकदमा, दावा या कार्रवाई के संबंध में 'झूठ' शब्द नहीं है अधिनियम द्वारा परिभाषित। अगर हम उपरोक्त शब्दकोश के अर्थ पर चलते हैं

इसका अर्थ यह होगा कि कोई संपत्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा मुकदमा, दावा या कार्रवाई

घोषित बेनामी को ऐसे वादी की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा या

संबंधित प्रतिवादी के खिलाफ आवेदक जिसके नाम पर

संपत्ति उस तारीख को और उस तारीख से रखी जाती है जिस दिन यह निषेध है।

इस तरह के मुकदमों के मनोरंजन के खिलाफ लागू होता है। सम्मान के साथ,

यह विचार कि धारा 4 (1) ऐसे लंबित मामलों पर भी लागू होगी

मुकदमे जो पहले से ही भारत और ए. एन. आर. की तारीख से पहले दायर किए गए थे और उन पर विचार किया गया था।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

जब धारा लागू हुई और जिसका प्रभाव वाद संपत्ति के संबंध में वादी के तत्कालीन मौजूदा अधिकार को नष्ट करने का है, तो स्पष्ट रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।

धारा 4 (1) की भाषा। यह कल्पना की जानी चाहिए कि विधायिका ने अपने विवेक से धारा 4 को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं बनाया है।

फिर आवश्यक निहितार्थ से इंगित करने के लिए कि धारा 4 के पास होगा

पूर्वव्यापी प्रभाव और इस धारा के लागू होने से पहले दायर लंबित मुकदमों को शामिल करना एक ऐसा दृष्टिकोण लेने के बराबर होगा जो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों द्वारा अनुमानित विधायी योजना और इरादे के विपरीत होगा।

पहले उल्लेख किया गया। हालाँकि, यह सच है जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 4 (1) की स्पष्ट भाषा पर किसी भी बेनामी संपत्ति के संबंध में वास्तविक मालिक को विरासत में मिलने वाला कोई भी अधिकार धारा 4 (1) के संचालित होने के बाद समाप्त हो जाएगा, भले ही ऐसा लेनदेन धारा 4 (1) के लागू होने से पहले किया गया हो, और इसलिए धारा 4 (1) के बाद कोई मुकदमा लागू नहीं हो सकता है।

इस तरह के पिछले बेनामी लेनदेन के लिए। उस हद तक यह धारा पूर्वगामी हो सकती है। इस पहलू को उजागर करने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। यदि 1980 में कोई बेनामी लेन-देन हुआ है और वादी द्वारा जून 1988 में यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया है कि वह संपत्ति का वास्तविक मालिक है और प्रतिवादी केवल एक बेनामीदार है और

उस पर विचार किया गया है, तो ऐसा मुकदमा धारा 4 (1) के प्रावधानों के कारण नहीं होगा। इस तरह के मुकदमों को दायर करने, मनोरंजन करने और स्वीकार करने के खिलाफ प्रतिबंध बन गया होगा जून 1988 तक प्रभावी और उस हद तक धारा 4 (1) अपने पिछले बेनामी लेनदेन को भी अपने दायरे में ले लेगी जिनकी मांग की जाती है -

धारा 4 (1) के निषेधात्मक प्रावधान के लागू होने के बाद मुकदमा चलाया जाए; लेकिन यह धारा 4 (1) की पूर्व सक्रियता का एकमात्र प्रभाव है और इससे अधिक कुछ नहीं। इस निष्कर्ष से कि धारा 4 (1) पिछली बेनामी पर भी लागू होगी।

उपर्युक्त सीमा तक लेन-देन, डिवीजन बेंच द्वारा उठाया गया अगला कदम कि इसलिए, तत्कालीन मौजूदा अधिकार नष्ट हो गए और भले ही वास्तविक मालिकों द्वारा मुकदमे धारा 4 (1) के संचालन में आने से पहले दायर किए गए थे, वे जीवित नहीं रहेंगे, तार्किक रूप से इसका पालन नहीं करता है।

12. जहाँ तक धारा 4 (2) का संबंध है, केवल इतना ही प्रावधान किया गया है कि यदि एक वादी द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है जो दस्तावेज़ के तहत संपत्ति का मालिक होने का दावा करता है और अपने नाम पर संपत्ति रखता है, तो एक बार धारा 4 (2) लागू होने के बाद, किसी भी बचाव की अनुमति नहीं दी जाएगी [2022] 12 एस. सी. आर.

या बेनामी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे किसी मुकदमे, दावे या कार्रवाई में अनुमति दी गई है। ऐसे बचाव की अनुमति न देने से जो पहले उपलब्ध था, स्वयं यह पता चलता है कि प्रतिवादी के पहले से मौजूद अधिकार पर धारा 4 (2) द्वारा एक नया दायित्व या प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह के प्रावधान को पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी भी नहीं कहा जा सकता है। आवश्यक प्रभाव। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 4 (2)

स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की कोशिश नहीं करता है। जहाँ तक ऐसे मुकदमे का संबंध है जो धारा 4 (2) के व्यापक दायरे में आता है, धारा 4 (1) का निषेध उस पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह वादी द्वारा किसी भी मामले में अधिकार को लागू करने के लिए दायर किया गया दावा या कार्रवाई नहीं है। बेनामी संपत्ति। इसके विपरीत, यह वादी के नाम पर बिक्री विलेख या स्वामित्व विलेख से आने वाला एक मुकदमा, दावा या कार्रवाई है। भले ही ऐसा मुकदमा 19-5-1988 से पहले दायर किया गया हो, अगर वास्तविक मालिक द्वारा बचाव दाखिल करने के चरण तक पहुंचने से पहले, धारा 4 (2) 19-5-1988 से प्रभावी हो जाती है, तो धारा 4 (2) द्वारा निर्धारित इस तरह के बचाव की अनुमति ऐसे प्रतिवादी को नहीं दी जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि धारा 4 (1) और धारा 4 (2) को केवल उस आधार पर निहित रूप से पूर्वव्यापी माना जा सकता है ताकि वास्तविक मालिकों के ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सभी लंबित मुकदमों को शामिल किया जा सके जो प्रवर्तन में आने से पहले किए गए बेनामी लेनदेन के पक्षकार हैं।

अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा 4। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 4 (2) में आदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी दावे, मुकदमे या कार्रवाई में इस तरह के किसी भी बचाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करना। इसका मतलब है कि धारा 4 (2) के लागू होने के बाद पहली बार इस तरह के किसी भी बचाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि धारा 4 (2) के लागू होने से पहले किसी लंबित वाद में इस तरह के बचाव की अनुमति दी जाती है, जिससे इस तरह के बचाव पर कोई मुद्दा उठाया जा सकता है, तो न्यायालय पहले से ही अनुमत बचाव से उत्पन्न होने वाले मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है क्योंकि प्रासंगिक समय पर जब धारा 4 (2) को इस तरह के बचाव की अनुमति दी गई थी। धारा 4 (2) में कहीं भी इन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है: किसी भी अधिकार के संबंध में कोई बचाव नहीं

बेनामी संपत्ति चाहे वह उस व्यक्ति के खिलाफ हो जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई हो या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, उसे किसी भी मुकदमे में उठाने या जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। सम्मान के साथ, यह

डिवीजन बेंच द्वारा गलत तरीके से यह माना गया था कि एक लंबित मुकदमे में पहले से ही अनुमति प्राप्त बचाव भी भारत के आई. ओ. एन. और ए. एन. आर. के बाद नष्ट हो जाएगा।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

धारा 4 (2) के प्रवर्तन में आना। हम इस स्तर पर धारा 4 (2) की प्रयोज्यता पर अपनी लिखित प्रस्तुतियों में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित एक कठिनाई का उल्लेख कर सकते हैं। ये प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

13. हमारे अनुसार यह कठिनाई धारा 4 (2) में अंतर्निहित है और यह मानने के लिए तर्क प्रदान नहीं करता है कि यह धारा पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है। विधायिका ने स्वयं ऐसा करना उचित समझा और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अधिकारों को कोई चुनौती नहीं है। खंड को फिर से लिखना भी हमारे लिए खुला नहीं है। अन्यथा भी, धारा 4 (1) और (2) के प्रवर्तन में, संपत्ति के विभिन्न वास्तविक मालिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि लिखित आपत्तियों में इंगित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में, वे मामले जिनमें वास्तविक मालिकों द्वारा मुकदमे दायर किए जाते हैं या धारा 4 (2) के अमल में आने से पहले बचाव की अनुमति दी जाती है, उन मामलों की तुलना में एक अलग वर्ग का गठन करेंगे जहां ऐसे मुकदमे या बचाव दायर करने का एक चरण अभी भी उस समय तक नहीं पहुंचा है जब तक कि धारा 4 (1) और (2) काम करना शुरू नहीं करती है।

नतीजतन, बाद के प्रकार के मामले मामलों की एक अलग श्रेणी बनाते हैं। इन दोनों वर्गों के मामलों को अलग-अलग तरीके से निपटते समय भेदभाव किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। एक वास्तविक मालिक जिसे धारा 4 (2) के संचालन में आने से पहले ही उस आधार पर बचाव की अनुमति दी जा चुकी है, उसे वास्तविक मालिक की तुलना में बेहतर व्यवहार नहीं कहा जा सकता है, जिसे अभी भी इस तरह का बचाव करना है और इस बीच वह धारा 4 (2) के निषेध से प्रभावित है। समान रूप से एक वास्तविक मालिक के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है जिसने पहले ऐसा मुकदमा दायर किया है और जो धारा 4 (1) के लागू होने तक ऐसा मुकदमा दायर नहीं करता है। धारा 4 (1) और (2) के लागू होने के बाद बेनामी लेनदेन के संबंध में अपने दावे करने वाले सभी वास्तविक मालिक हैं -

इन प्रावधानों द्वारा समान व्यवहार दिया जाता है, चाहे वे वादी के रूप में आएं या प्रतिवादी के रूप में। नतीजतन, शिकायतें उठीं

इस संबंध में कायम नहीं रखा जा सकता है।

14.15 चर्चा पर लौटते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नामित 1988 अधिनियम ने एक सख्त देयता अपराध बनाने की कोशिश की औरवेद ने बेनामी संपत्ति का अलग से अधिग्रहण किया। यह सवाल उसे एक ऐसे आपराधिक प्रावधान पर खड़ा करता है, जिसे राज्य अब 28 साल की निष्क्रियता, [2022] 12 एस. सी. आर. के बाद संपत्तियों को जब्त करने के लिए बनाने का इरादा रखता है।

पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना ऐसे सख्त प्रावधानों के अस्तित्व के बारे में संवैधानिक प्रश्न। 15. सबस्टैंटिव _ ड्यू _ प्रोसेस, मैनिफेस्ट _ ए. आर. बी. आई. टी. आर. आई. एन. ई. एस. _ और प्रावधान _ अंडर 1988 अधिनियम।

15.1 दोनों पक्षों की ओर से पेश वकील द्वारा संबोधित सरल प्रश्न यह है कि क्या संशोधित 2016 अधिनियम पूर्वव्यापी है या संभावित है।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से एक मध्यवर्ती प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि क्या 1988 का अधिनियम पहले संवैधानिक था। भारत संघ द्वारा संबोधित तर्क इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि 1988 का अधिनियम एक वैध मूल कानून था, जिसमें केवल कुछ अंतर की आवश्यकता थी

2016 अधिनियम के माध्यम से भरना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त प्रक्रियात्मक

कानून को लागू करने के लिए सुरक्षा उपाय और तंत्र मौजूद हैं। भारत संघ के अनुसार, 2016 का अधिनियम केवल अंतराल भरने की कवायद थी।

15.2 लेकिन 1988 के अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि वैधता और संवैधानिकता पर सवाल उठते हैं। 1988 अधिनियम की धारा 3 और 5 के संबंध में। इस तरह के जवाब

प्रश्नों को संवैधानिकता के पक्ष में नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि उन पर न्यायालय के समक्ष कभी सवाल नहीं उठाया गया था। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सबूत के बोझ के रूप में संवैधानिकता की धारणा की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि, हम वर्तमान मुकदमे में इन प्रावधानों की वैधता के बारे में संघ द्वारा ली गई धारणा का संकेत दे रहे हैं। इस तरह की धारणा तब नहीं की जा सकती जब इस न्यायालय को बुलाया जाता है। यह जवाब देने के लिए कि क्या विवादित प्रावधान उन लेन-देनों की ओर आकर्षित हैं जो 2016 से पहले हुए हैं।

15.3 भारतीय न्यायशास्त्र न्यायिक संयम के वर्षों के माध्यम से परिपक्व हुआ है, और देश एक अधिकार क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है

' मूल देय प्रक्रिया '। न्यायशास्त्र की यात्रा का एक संक्षिप्त रेखाचित्र

अब तक, हमारी समझ में सहायता करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

ब्रैडली थायर और न्यायमूर्ति फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, जिनका मानना था कि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किसी कानून की तर्कसंगतता की जांच करने के लिए शक्ति का केंद्रीकरण शक्तियों के पृथक्करण और संसदीय अवमूल्यन के लिए गलत होगा। संप्रभुता। डॉ. अम्बेडकर स्वयं उपरोक्त किसी भी राय का पक्ष नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उन्होंने स्थिति की परिकल्पना ऐसे व्यक्ति के रूप में की जो चारिब्डिस और स्कायला के बीच फंस गया है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

15.5 में बहुमत द्वारा उपरोक्त विलोपन पर जोर

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27, फजल अली, जे. की प्रसिद्ध असहमति से कुछ हद तक पीछे हट गया था, जिसमें "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" शब्द की व्याख्या "प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया" के रूप में की गई थी। यह न्यायिक कलह अंततः मेनका गांधी बनाम में समाप्त हो गई। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248, जिसमें अनुच्छेद 14,19 और 21 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायपालिका के पास, कहने के लिए, हमेशा एक कानून की तर्कसंगतता की जांच करने की फोरेंसिक शक्ति थी, दोनों प्रक्रियात्मक और मूल। बाद की व्याख्याओं ने केवल विस्तार करने के लिए रंग दिया है जो भाग III के तीन सुनहरे लेखों के तहत निहित था। सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन, (1978) 4 एस. सी. सी. 494, अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले कानून शब्द की व्याख्या जस के अर्थ में की गई थी।

और केवल लेक्स नहीं। उपरोक्त मामले में बहुमत के अवलोकन को निम्नलिखित तरीके से उद्धृत करना आवश्यक हो सकता हैः

" 228 ..... "प्रक्रिया स्थापित" अभिव्यक्ति में "कानून" शब्द

अनुच्छेद 21 में "कानून द्वारा" मानेका में अर्थ के रूप में व्याख्या की गई है।

गांधी ने कहा कि कानून सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए

मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी "।

(जोर दिया गया)

15.6 मिसालों की एक श्रृंखला के साथ इस फैसले पर बोझ डाले बिना

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित, हम केवल के. पुट्टास्वामी बनाम में बहुमत की राय का उल्लेख कर सकते हैं। भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1, जिसमें कानून ने

इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नलिखित तरीके से निपटारा किया गयाः

" 294. न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए,

निर्विवाद रूप से निर्णय लेने की संवैधानिक शक्ति के साथ निहित है

किसी कानून की वैधता पर। जब किसी कानून की वैधता पर सवाल उठाया जाता है

इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 21 में निहित गारंटी का उल्लंघन करता है,

चुनौती का दायरा केवल इस तक सीमित नहीं है कि क्या

जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत है।

जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण किया गया है विभिन्न संदर्भों में माना और निपटा गया, जैसे कि मृत्यु

दंड (बचन सिंह बनाम बचन सिंह) पंजाब राज्य,

1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 405]), अन्य मामलों के साथ। एक व्यक्ति नहीं हो सकता है [2022] 12
एस. सी. आर. के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 14, इसके विरुद्ध एक गारंटी के रूप में मनमानी, अनुच्छेद 21 की संपूर्णता को प्रभावित करती है। मनमानेपन के खिलाफ गारंटी और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच अंतर्संबंध एक बहुआयामी स्तर पर काम करता है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि वंचित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 14 प्रक्रिया और दोनों को प्रभावित करता है।

अभिव्यक्ति "कानून"। अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर एक कानून अनुच्छेद 14 में उत्पन्न निष्पक्षता के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। सिद्धांत रूप में, एक बार जब अनुच्छेद 14 का अनुच्छेद 21 से संबंध हो जाता है, तो निष्पक्षता और तर्कसंगतता के मानदंड न केवल प्रक्रिया पर बल्कि कानून पर भी लागू होंगे।

295. इन सबसे ऊपर, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा जीवन पर विधायी अतिक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली गारंटी है और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस अधिकार को सौंपने से संविधान द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिए गए संरक्षण के महत्व को कम कर दिया जाएगा। इसलिए, जबकि कानून की वैधता के लिए संवैधानिक चुनौतियों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग संवैधानिकता के अनुमान और विधायी, कार्यकारी और न्यायिक संस्थानों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के लिए एक सचेत सम्मान के साथ किया जाता है, संवैधानिक शक्ति जो न्यायालय में निहित है, लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के एक जीवंत साधन के रूप में बरकरार रखी जानी चाहिए।

व्यक्तियों।

296. इसे एक अभ्यास के रूप में समझने का खतरा

" मूल उचित प्रक्रिया यह है कि इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी संविधान से एक अवधारणा को शामिल किया जाता है जिसे संविधान बनाए जाने पर जानबूझकर स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा, यहां तक कि इसके मूल देश में भी, ठोस उचित प्रक्रिया ने न्यायिक व्याख्या की अनिश्चितताओं को जन्म दिया है। विशेष रूप से हमारे संविधान में उस वाक्यांश को हटाने के आसपास के संवैधानिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, एक ठोस चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारत में एक संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बराबरी करना अनुचित होगा।

अमेरिकी संविधान के तहत मूल उचित प्रक्रिया के प्रयोग के साथ एक कानून की वैधता के लिए। कुछ निर्णयों में मूल उचित प्रक्रिया का संदर्भ अनिवार्य रूप से इस आधार पर किसी कानून की वैधता के लिए एक मूल चुनौती का संदर्भ है कि इसके मूल (प्रक्रियात्मक से अलग) प्रावधान संविधान का उल्लंघन करते हैं।

15.7 किसी ओ. आर. आई. उपकरण की असंवैधानिकता का परीक्षण करने के संबंध में कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

【 भारत और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

संवैधानिक न्यायालय विधायी की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं।

ए।

उपकरण (कानून और प्रत्यायोजित विधान);

बी।

न्यायालयों को प्रक्रिया दोनों पर परीक्षण करने का अधिकार है -

साथ ही इन उपकरणों की मूल प्रकृति।

परीक्षण लेखों के संयुक्त पठन पर आधारित होना चाहिए।

सी।

14 , 19 और संविधान के 21.

15.8 भाग III के तहत इस परीक्षण की शाखाओं में से एक

टाइट्यूशन प्रकट मनमानेपन के सिद्धांत का विकास है। इस क्षेत्र के विकास का मुख्य अध्ययन आवश्यक नहीं हो सकता है। शायरा बानो बनाम में इसका अच्छी तरह से पता लगाया गया है। भारत संघ, (2017) 9

1. हम केवल यह कह सकते हैं कि न्यायशास्त्र का विकास हुआ है वर्गीकरण के एक अत्यधिक औपचारिक परीक्षण से पूर्ण चक्र को शामिल करने के लिए

यह स्पष्ट मनमानेपन का है। परीक्षण का एक व्यापक सूत्रीकरण था

मैं उपरोक्त मामले में निम्नानुसारः

" 95. प्राकृतिक संसाधनों में इस फैसले को पढ़ने पर

आबंटन मामला [प्राकृतिक संसाधन आबंटन, पुनः विशेष

2012 का संदर्भ संख्या 1, (2012) 10 एस. सी. सी. 1], यह स्पष्ट है कि यह

अदालत ने मैकडॉवेल [स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम.] को नहीं पढ़ा। मैकडॉवेल और कं., (1996) 3 एस. सी. सी. 709] प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में

उस कानून को कभी भी मनमाना होने के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता है। वास्तव में

न्यायालय, पहले के सभी निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, और अजय

हसिया [अजय हसिया बनाम। खालिद मुजीब सहरावर्दी (1981) 1 एस. सी. सी.

722] विशेष रूप से, जिसमें कहा गया था कि कानून को निरस्त किया जा सकता है इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 14 के तहत "मनमाना" है,

यह निष्कर्ष निकालते हैं कि "मनमानेपन" जब कानून पर लागू होता है तो नहीं हो सकता है

संवैधानिक दुर्बलता पाई जाती है, अनुच्छेद 14 इस तरह का निर्णय रोकेगा दुर्बलता। और एक संवैधानिक दुर्बलता अनुच्छेद 14 में ही पाई जाती है।

जब भी कानून "स्पष्ट रूप से मनमाना" होता है अर्थात जब यह नहीं होता है

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगतता को बढ़ावा देना उपचार। सकारात्मक रूप से, इसे उन मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए जो

तर्कसंगत हैं, तर्क के साथ सूचित हैं और जनहित द्वारा निर्देशित हैं,

आदि। "

(जोर दिया गया)

15.9 जोसेफ शाइन वी। भारत संघ, (2019) 3 एस. सी. सी. 39, यह

न्यायालय व्यभिचार के प्रावधान से संबंधित आई. पी. सी. की धारा 497 की संवैधानिकता से संबंधित था। उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के पहलू पर असंवैधानिक घोषित करते हुए, इस न्यायालय ने परीक्षण को निम्नानुसार दोहरायाः

" ..... प्रकट मनमानेपन का परीक्षण, इसलिए, जैसा कि निर्धारित किया गया है

उपरोक्त निर्णय अमान्य किए गए विधान पर लागू होंगे

साथ ही अनुच्छेद 14 के तहत अधीनस्थ विधान। प्रकटीकरण

इसलिए, मनमाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो

सिद्धान्त निर्धारित करना। इसके अलावा, जब कुछ किया जाता है अत्यधिक और असमान है, इस तरह के कानून होगा

स्पष्ट रूप से मनमाना हो। इसलिए हमारा मानना है कि

स्पष्ट मनमानेपन के अर्थ में मनमानेपन जैसा कि बताया गया है

ऊपर हमारे द्वारा अनुच्छेद के तहत अस्वीकार करने वाले कानून पर भी लागू होगा।

14. "

(जोर दिया गया)

15.10 हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ,

(2020) 17 एस. सी. सी. 324, इस न्यायालय ने स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 87 को निरस्त कर दिया क्योंकि संसद ने इस न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करने का फैसला किया, इसके आधार को हटाए बिना या इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक सिद्धांत की पहचान किए बिना।

15.11 1988 के अधिनियम पर वापस आते हुए, दो प्रावधान जिनके साथ

हम 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 5 से संबंधित हैं। यहाँ उनका अलग से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि अधिनियम केवल एक आवरण था, जिसमें उस सार का अभाव था जो एक आपराधिक कानून को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके कारण निम्नलिखित अनुच्छेदों में बताए गए हैं।

15.12 सबसे पहले, मेन्स रिया की अनुपस्थिति एक कठोर प्रावधान पैदा करती है।

सख्त दायित्व होना। इस तरह के दृष्टिकोण को 57 वें द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

लेनदारों को भुगतान से बचने के लिए कर चोरी या नकली लेनदेन की चिंताओं के रूप में विधि आयोग की रिपोर्ट को कानून के मौजूदा प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया था। यहां तक कि 130 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में भी पुरुष अधिकार को शामिल करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया था। बिना किसी सिद्धांत के विधि आयोग की पिछली रिपोर्टों को नजरअंदाज करने का विधायी कदम 1988 के अधिनियम के तहत उपरोक्त आपराधिक प्रावधान की संवैधानिकता का विश्लेषण करने में पुरुष अधिकार के पहलू को समाप्त करने के लिए पहचाना जाने वाला एक योगदान कारक होना चाहिए।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

15.13 इसके अलावा, संशोधित 2016 अधिनियम के तहत, पुरुषों का पहलू

रिया, धारा 53 के माध्यम से वापस लाया जाता है। इस तरह का पुनरुत्थान स्पष्ट रूप से

यह इंगित करता है कि पुरुष अधिकार पहलू को दूर करना, बिना किसी तुकबंदी या कारण के था, और अंत में एक असामान्य रूप से कठोर अधिनियम का निर्माण हुआ। 15.14 दूसरा, वास्तविक मालिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले लाभकारी स्वामित्व के आवश्यक घटक की अनदेखी करना बेनामी के संबंध में कानून को और भी कठोर और असमान बनाने में योगदान देता है।

ऐसे लेन-देन जो त्रिपक्षीय प्रकृति के हों। न्यायालय अधिनियम को असंवैधानिकता से बचाने के लिए न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से या धारा 2 और 3 (आपराधिक परिणामों का समर्थन) के तहत प्रदान की गई परिभाषा में धारा 4 (नागरिक परिणाम वाले) के तहत विकसित सामग्री को जबरन नहीं पढ़ सकता है। इस तरह का पढ़ना धारा 2 (ए) की स्पष्ट भाषा का उल्लंघन करेगा, जिसमें 'बेनामी लेनदेन' की परिभाषा से एक घटक को बाहर रखा गया है और यह न्यायिक उल्लंघन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त होगा। इस तरह के एक आवश्यक घटक को हटाने में, विधायिका ने किसी भी कारण या सिद्धांत की पहचान नहीं की, जिससे संपूर्ण मनमानेपन के लिए अतिसंवेदनशील धारा 3 का प्रावधान। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपक्षीय बेनामी लेनदेन के लिए, 2016 अधिनियम धारा 2 (9) (ए) (बी) के माध्यम से इस घटक को वापस लाता है। इस संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 20 (1) के तहत यह एक सरल आवश्यकता है कि एक कानून स्पष्ट होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें लाइलाज खामियां नहीं होनी चाहिए जिन्हें अभी तक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कानून बनाया/भरा जाना है।

15.15 तीसरा, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी., श्री विक्रमजीत बनर्जी द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि आपराधिक प्रावधान इसका उपयोग कभी नहीं किया गया क्योंकि इस तरह के प्रावधान के कामकाज को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण अंतराल था।

15.16 चौथा, धारा 2 (ए) को धारा 3 (1) के साथ पढ़ने से अत्यधिक व्यापक कानून बनते जिन्हें इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती थी।

स्पष्ट मनमानेपन का। यदि यह न्यायालय बेनामी अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों को 1988 से लागू होने के लिए पढ़ता है, तो निम्नलिखित हानिकारक परिणाम सामने आएंगेः

(i.) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 187 सी ने शेयरों की नाममात्र और लाभकारी होल्डिंग के लिए सुरक्षा का आश्वासन दिया यदि विधिवत की गई निर्धारित घोषणा गंभीर जोखिम में है। ((ii.) बेनामी रसोई गैस कनेक्शन जो दिए गए हैं

समय-समय पर नियमित किए जाने पर जोखिम होता है।

(iii.) समय-समय पर नियमित की गई आवासीय कॉलोनियों और डी. डी. ए. फ्लैटों के बेनामी आवंटन खतरे में हैं।

15.17 1988 के अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत आपराधिक प्रावधान में गंभीर खामियां हैं जिन्हें न्यायिक मंचों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि किसी प्रकार की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से भी। उपरोक्त के विपरीत एक निष्कर्ष उपरोक्त कानून को अत्यधिक दमनकारी, काल्पनिक और स्पष्ट रूप से मनमाना होने का संदेह करेगा, जिससे संविधान की 'मूल उचित प्रक्रिया' की आवश्यकता का उल्लंघन होगा।

15.18 1988 के अधिनियम की धारा 5 पर आते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले के अधिनियम के तहत विचार की गई अधिग्रहण कार्यवाही में

बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि, न्यायशास्त्र की दृष्टि से, इस तरह की कार्यवाहियों में अपराध को उस व्यक्ति से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसने एक संपत्ति का उपयोग किया जो समाज के लिए एक सामान्य नुकसान है, संपत्ति को ही।

15.19 जब ऐसी कार्यवाहियों पर कानून के तहत विचार किया जाता है, तो प्रावधानों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है, जिनके बिना

इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती दी जा सकती है। 1988 के अधिनियम की धारा 5 पर आते हुए, इसकी कल्पना एक अधूरे प्रावधान के रूप में की गई थी जिसमें निम्नलिखित प्रावधान नहीं थे और इसे एक प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया थाः

क्या धारा 5 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र थी

((i)

या सफल अभियोजन पर निर्भर?

((ख)

बेनामी स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक

धारा 5 के अनुसार लेन-देन।

(iii) किसी व्यक्ति को स्थापित करने का अवसर प्रदान करने के लिए तंत्र

उसका बचाव।

(( ) (iv) वैध निर्दोष खरीदारों को बचाने के लिए कोई 'निर्दोष मालिक का बचाव' प्रदान नहीं किया गया था।) (9 इसके लिए कोई निर्णयात्मक तंत्र प्रदान नहीं किया गया था। ( ) (3) अर्जित संपत्ति के निहित होने का निर्धारण करने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। ( ) 3 (vii) बेनामी संपत्तियों की पहचान करने या उनका पता लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(viii) संपत्ति की निंदा में पता लगाने की शक्ति शामिल नहीं हो सकती है, जिसके लिए एक स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता होती है।

प्राधिकरण को सत्ता का इस तरह का प्रत्यर्पण पूरी तरह से अत्यधिक और मनमाना था। उपरोक्त से, संघ का यह रुख कि 2016 का अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक था, जांच के दायरे में नहीं आ सकता है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

15.20 किसी भी मामले में, इस तरह के एक अनिर्णायक कानून, जिसने आवश्यक विशेषताओं को प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया, को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है

संविधान के भाग III के तहत वैध होना। में रिक्तियां बची हैं 1988 अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक नहीं थे, बल्कि वे ही आवश्यक और मूल थे। इस तरह के ठोस प्रावधानों के अभाव में, चूक एक ऐसा कानून बनाती है जो एक ही समय में काल्पनिक और दमनकारी है। इस तरह का एक व्यापक प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना था

कानून की बनावट में आनुपातिक होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे। 15.21 इस स्तर पर, हम केवल यह नोट कर सकते हैं कि जब कोई न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करता है, तो उसका प्रभाव यह है कि ऐसी घोषणा से कानून अपनी स्थापना के बाद से कानून की पुस्तकों में मौजूद नहीं होगा। यह केवल संवैधानिक कानून के तहत एक सीमित अपवाद है, या जब ऐसे असंवैधानिक कानूनों के तहत पर्याप्त कार्रवाई की गई है तो मूल स्थिति में वापस जाना असंभव के करीब होगा। केवल उन्हीं मामलों में, क्या यह न्यायालय 'संभावित' की अवधारणा का सहारा लेगा?

ओवररुलिंग '।

15.22 उपरोक्त में से, 1988 के अधिनियम की धारा 2 (ए) और धारा 5 (ज़ब्ती की कार्यवाही) के साथ पठित धारा 3 (आपराधिक प्रावधान) अत्यधिक व्यापक, असमान रूप से कठोर है, और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना काम करती है। इस तरह के प्रावधान अभी भी जन्मजात कानून थे और पहले कभी उपयोग नहीं किए गए। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने पाया कि 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 5 अपनी स्थापना से ही असंवैधानिक थीं।

15.23 ऐसा कहने के बाद, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त चर्चा विचार किए गए नागरिक परिणामों को प्रभावित नहीं करती है

1988 के अधिनियम की धारा 4 या किसी अन्य प्रावधान के तहत।

16. 2016 अधिनियम और इसका विश्लेषण

16.1 परीक्षण का अगला विषय 2016 अधिनियम है, जो 1988 के अधिनियम में संशोधन करता है और 1988 के अधिनियम को 8 अध्यायों में विभाजित करके 72 धाराओं (9 धाराओं से) तक विस्तारित करता है। सबसे पहले, हमें कानून की सामान्य योजना को समझने की आवश्यकता है। बेनामी लेन-देन की परिभाषा, जो पूरे 1988 के अधिनियम का केंद्र है, एक कायापलट से गुजरी है और निम्नानुसार है:

[परिभाषाएँ।

धारा 2 (9) "बेनामी लेनदेन" का अर्थ है:

(ए) एक लेनदेन या एक व्यवस्था [2022] 12 एस. सी. आर.

(क) जहाँ कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, या उसके पास होती है, और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल प्रदान किया गया है, या

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया; और

(बी) संपत्ति उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्काल या भविष्य के लाभ के लिए आयोजित की जाती है जिसने प्रदान किया है

विचार करें, सिवाय तब जब संपत्ति द्वारा धारित हो

((i) कोई कर्ता, या हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य, जैसा भी मामला हो, और संपत्ति उसके लाभ के लिए रखी जाती है या

परिवार के अन्य सदस्यों का लाभ और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल हिंदू अविभाजित परिवार के ज्ञात स्रोतों से प्रदान या भुगतान किया गया है;

((ii) लाभ के लिए प्रत्ययी क्षमता में खड़ा व्यक्ति।

किसी अन्य व्यक्ति का जिसके प्रति वह इस तरह की क्षमता में खड़ा है

और इसमें एक न्यासी, निष्पादक, भागीदार, एक कंपनी का निदेशक, एक डिपॉजिटरी या एक प्रतिभागी डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के तहत एक डिपॉजिटरी के एजेंट के रूप में और कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जा सकता है।

((iii) कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवनसाथी के नाम पर या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के नाम पर एक व्यक्ति है और

ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल व्यक्ति के ज्ञात स्रोतों से प्रदान या भुगतान किया गया है;

((iv) अपने भाई या बहन या वंशज के नाम पर कोई भी व्यक्ति।

आरोही या वंशज, जहां भाई या बहन या वंशानुगत उत्तराधिकारी या वंशज और व्यक्ति के नाम किसी भी दस्तावेज में संयुक्त मालिक के रूप में दिखाई देते हैं, और इस तरह के लिए विचार

(बी) एक काल्पनिक नाम में की गई या की गई संपत्ति के संबंध में एक लेनदेन या व्यवस्था; या (ग) ऐसी संपत्ति के संबंध में एक लेन-देन या व्यवस्था जहां संपत्ति का मालिक इस तरह के स्वामित्व के बारे में नहीं जानता है, या जानकारी से इनकार करता है;

((घ) ऐसी संपत्ति के संबंध में एक लेन-देन या व्यवस्था जहां प्रतिफल प्रदान करने वाला व्यक्ति पता लगाने योग्य नहीं है या काल्पनिक है; भारत और ए. एन. आर. के बारे में।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

स्पष्टीकरण। - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि बेनामी लेनदेन में कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा। किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना शामिल है

या में निर्दिष्ट अनुबंध के आंशिक प्रदर्शन में बनाए रखा गया है

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 ए, यदि उस समय लागू किसी कानून के तहत,

((i) ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है जिसे संपत्ति के कब्जे की अनुमति दी गई है, लेकिन

जिस व्यक्ति ने इसका अधिकार प्रदान किया है, वह जारी है

ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखें; ((ii) ऐसे लेन-देन या व्यवस्था पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया है।

भुगतान किया गया; और

((ग) अनुबंध पंजीकृत हो गया है।

16.2 परिभाषा के तहत परिकल्पित प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

((i)

बाहू की लंबाई के लेनदेन से परिभाषा का विस्तार 1988 के अधिनियम के तहत अनुध्यात व्यवस्थाओं और

योजनाएं।

वास्तविक मालिक को मिलने वाले लाभों का अतिरिक्त घटक,

((ख)

1988 के अधिनियम के तहत पूर्व भाग में इंगित एक कमी को धारा 2 (9) (ए) (बी) के संदर्भ में शामिल किया गया है।

(iii) धारा 2 (9) (सी) के माध्यम से दायरे का विस्तार, उन लोगों के लिए

ऐसे गुण जहाँ बेनामीदार इस तरह के ज्ञान से इनकार करता है

स्वामित्व।

(iv) धारा 2 (9) (डी) के माध्यम से दायरे का विस्तार, जिसमें प्रतिफल प्रदान करने वाला व्यक्ति पता लगाने योग्य नहीं है या है

काल्पनिक।

केवल त्रिपक्षीय लेन-देन की मान्यता से विस्तार

(v)

1988 के अधिनियम के तहत, द्विदलीय लेनदेन को भी शामिल करना।

16.3 2016 के अधिनियम की धारा 2 (26) संपत्ति को परिभाषित करती है। यह

आय का विस्तार संपत्ति से आय को शामिल करने के लिए किया गया है इस तरह के विस्तार से आय का पता लगाने में मदद मिलती है और यह काफी महत्वपूर्ण है।

1988 के अधिनियम की तुलना में। इसके साथ ही धारा 2 (8) के तहत बेनामी संपत्ति को परिभाषित किया गया है। बेनामीदार को धारा [2022] 12 एस. सी. आर. के तहत परिभाषित किया गया है।

16.4 अध्याय 2 में चार प्रावधान हैं जो 1988 के अधिनियम के संशोधित प्रावधान हैं। धारा 3 अब बेनामी लेन-देन की समय अवधि के आधार पर अपराधों को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करती है।

धारा 3 (2) के तहत, उन लोगों के लिए तीन साल की सजा अनिवार्य है जिन्होंने 05.09.1988 से 25.10.2016 तक बेनामी लेनदेन किया है। धारा 3 (3) उन बेनामी लेन-देनों पर लागू होती है जो संशोधित 2016 अधिनियम के प्रारंभ के बाद किए गए हैं और उपरोक्त के लिए दंड अध्याय VII की धारा 53 के तहत निर्धारित किया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 3 (3) के तहत सजा को तीन साल से बढ़ाकर अधिकतम सात साल कर दिया गया है और जुर्माना लगाया जा सकता है जो संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत तक है। धारा 53 के साथ पठित धारा 3 (2) और 3 (3) के बीच इस अंतर में पुरुष अधिकार का तत्व शामिल है। 16.5 धारा 4 1988 के अधिनियम के तहत वही बनी हुई है, इस तथ्य को छोड़कर कि धारा 4 (3) ने इसके तहत प्रदान किए गए अपवादों को एकीकृत किया है।

धारा 2 (9) के संदर्भ में बेनामी लेनदेन की परिभाषा। धारा 4 के तहत प्रदान किए गए नागरिक परिणाम 2016 के अधिनियम के बाद भी लागू होते रहते हैं। उपरोक्त धारा की व्याख्या, जैसा कि आर. राजगोपाल रेड्डी मामले (उपरोक्त) में दी गई है, अभी भी लागू है।

16.6 दूसरी ओर धारा 5 को संशोधित किया गया है और यह वर्तमान में निम्नानुसार हैः

5. बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। कोई भी।

संपत्ति, जो बेनामी लेन-देन का विषय है,

केंद्र सरकार द्वारा ज़ब्त किए जाने योग्य।

16.7 अध्याय III 2016 अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अधिकारियों के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है। चैप्टर IV

बेनामी संपत्ति की कुर्की, निर्णय और जब्ती से संबंधित है। ये प्रावधान ज़ब्त करने से संबंधित हैं, जिनका विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है

इसके बाद।

16.8 धारा 24 (1) में कहा गया है कि, यदि आरंभकर्ता अधिकारी, एकत्रित सामग्री के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है कि

संपत्ति एक बेनामी संपत्ति है, तो उसे लाभकारी मालिक (यदि पहचाना गया हो) के साथ-साथ प्रत्यक्ष मालिक (यदि कोई हो) को नोटिस जारी करना चाहिए कि संपत्ति को बेनामी क्यों नहीं माना जाना चाहिए।

7 2016 अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ में।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

16.10 धारा 24 (4) के तहत निर्णय लेना अनिवार्य है और प्राधिकरण से प्रथम दृष्टया इसकी जांच करने की आवश्यकता होती है। इस तरह अभियुक्त को एकत्रित सामग्री प्रदान करने के बाद कारण बताए जाने के नोटिस के साथ न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रावधान के तहत एक तर्कपूर्ण आदेश अनिवार्य है। अधिकारी को एक प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया गया है

2016 अधिनियम की धारा 24 (5) के संदर्भ में न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले का विवरण।

16.11 धारा 26 के तहत निर्णय विभिन्न अन्य व्यक्तियों को नोटिस और प्रकटीकरण दायित्व को अनिवार्य करता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या तो कर सकता है

धारा 26 (3) (सी) (आई) या (ii) के संदर्भ में आदेश पारित करें, या धारा 26 (3) (बी) के संदर्भ में आगे की पूछताछ के लिए आदेश पारित करें।

16.12 धारा 27 (1) संपत्ति की जब्ती से संबंधित है, जिसमें यदि किसी संपत्ति को धारा 26 (3) के तहत बेनामी संपत्ति माना जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संबंधित को एक अवसर दे सकता है।

व्यक्ति, और पक्षों को सुनने के बाद, संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित करते हैं। उपरोक्त ज़ब्ती आदेश धारा 46 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अधीन है। जब्ती का आदेश ऐसी संपत्ति को पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित करता है, जो सभी से मुक्त है।

इस तरह की जब्ती के संबंध में कोई बोझ और कोई मुआवजा देय नहीं होगा। 16.13 धारा 27 (4) में प्रावधान है कि ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू करने के बीच में, किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार को पराजित करने के लिए बनाया गया है

अधिनियम का उद्देश्य अमान्य होगा। उपखंड 5 में आदेश दिया गया है कि यदि ज़ब्ती का कोई आदेश नहीं दिया जाता है और वह अंतिम रूप ले चुका है, तो प्रक्रिया के लिए सरकार के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

16.14 धारा 28 संपत्ति के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति को अनिवार्य करती है। ऐसे प्रशासक के पास धारा 29 के संदर्भ में जब्ती के आदेश पर ऐसी संपत्ति का कब्जा लेने की शक्ति होगी।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.15 अध्याय 5 और 6 अपील की शक्तियों का वर्णन करते हैं।

नाल के साथ-साथ विशेष न्यायालय भी। अध्याय VII में अपराध शामिल हैं

योग्यताएँ। विशेष रूप से, हम धारा 53 का उल्लेख कर सकते हैं:

53. बेनामी लेनदेन के लिए जुर्माना (1) जहाँ कोई व्यक्ति बेनामी लेन-देन करता है ताकि -

किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल करने या वैधानिक भुगतान से बचने के लिए

देय राशि या लेनदारों, लाभकारी मालिक को भुगतान से बचने के लिए, बेनामीदार और कोई अन्य व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है, वह अपराध का दोषी होगा।

बेनामी लेन-देन।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बेनामी लेनदेन के अपराध का दोषी पाया जाता है, वह एक वर्ष से कम की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा, लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

जो बीस-पाँच प्रतिशत तक बढ़ सकता है। मेला बाजार का संपत्ति का मूल्य।

दिलचस्प बात यह है कि एक अपराध जिसने 1988 के तहत सख्त दायित्व को आकर्षित किया

मेन्स रिया पहलू को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है

57 वें और 130 वें विधि आयोग की रिपोर्टों में संशोधन।

16.16 यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि कोई अभियोजन नहीं हो सकता है

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, जैसा कि प्रदान किया गया है

धारा 55, जो निम्नानुसार है:

55. इस संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

धारा 3,53 या धारा 54 के तहत किसी भी अपराध के बिना

बोर्ड की पूर्व मंजूरी।

16.17 शेष प्रावधानों के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है

हाथ में ओस।

17. क्या धारा 3 (1) और अध्याय 4 को 2016 के अधिनियम की धारा के साथ पढ़ा गया है?17.1 भारत संघ द्वारा प्रस्तुत तर्कों का जोर निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

(i.) कि 1988 का अधिनियम प्रक्रियात्मक रूप से एक वैध अधिनियम था

जो अंतराल 2016 के संशोधन द्वारा पूर्वव्यापी रूप से भरे गए थे।

((ii.) कि अभिग्रहण (नागरिक अभिग्रहण) का प्रावधान

1988 का अधिनियम, नागरिक कानून के क्षेत्र में होने के कारण, भारत और ए. एन. आर. का दंडात्मक संघ नहीं है।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

और इसलिए, के अनुच्छेद 20 (1) के तहत निषेध

इस मामले में संविधान आकर्षित नहीं है।

17.2 तर्क की पहली पंक्ति के संबंध में, ऊपर की हमारी चर्चा को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(अ.) 1988 के अधिनियम की धारा 3 (1) अस्पष्ट और मनमाना है।

(ख.) धारा 3 (1) ने तय किए गए सिद्धांतों और विधि आयोग की सिफारिशों के खिलाफ एक अनुचित कठोर कानून बनाया।

(ग.) 1988 अधिनियम की धारा 5, सिविल से संबंधित प्रावधान

ज़ब्त, स्पष्ट रूप से मनमाना था।

(घ.) दोनों प्रावधान अव्यवहारिक थे और वास्तव में,

इन्हें कभी लागू नहीं किया गया।

17.3 उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि 1988 के अधिनियम के तहत धारा 3 और 5 असंवैधानिक थीं, इसका मतलब यह होगा कि 2016 के संशोधन, प्रभावी रूप से, नए प्रावधानों और नए प्रावधानों का निर्माण कर रहे थे।

अपराध। इसलिए, 2016 के अधिनियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक उन लेन-देनों के लिए धारा 3 (1) के तहत अपराध का संबंध है जो 05.09.1988 से 25.10.2016 के बीच किए गए थे, कानून पूर्वव्यापी रूप से एक मृत आपराधिक अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकता है, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है।

17.4 भारत संघ द्वारा दी गई रियायत और 2016 अधिनियम की धारा 53 के निष्पक्ष अध्ययन के अनुसार, उपरोक्त के तहत अपराध

प्रावधान संभावित है और केवल उन लेन-देनों पर लागू होता है जो संशोधन लागू होने के बाद किए गए थे। , 25.10.2016 . 1988 के अधिनियम की धारा 3 की कोई भी विपरीत व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन होगी। अनुच्छेद 20 (1) निम्नानुसार हैः

20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (1) किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के किए जाने के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उस समय लागू कानून के तहत दिए गए दंड से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा।

अपराध के कमीशन का।

17.5 टी. बरई बनाम। हेनरी आह हो, (1983) 1 एस. सी. सी. 177, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 20 (1) की व्याख्या निम्नलिखित तरीके से की हैः

" 22. यह केवल पूर्वगामी आपराधिक कानून है जो निषिद्ध है।

अनुच्छेद 20 (1) के तहत। अनुच्छेद 20 (1) में निहित निषेध यह है कि किसी भी व्यक्ति को उल्लंघन [2022] 12 एस. सी. आर. के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

आरोपित अधिनियम के लागू होने के समय लागू कानून का

अपराध निषेध करता है और न ही उसे दंड दिया जाएगा।

उससे अधिक जो अपराध करने के समय लागू कानून के तहत लगाया गया हो सकता है। यह काफी है

स्पष्ट करें कि जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम नया बनाता है

अपराध या किसी विशेष प्रकार के अपराध के लिए सजा को बढ़ाता है किसी भी व्यक्ति को इस तरह के पूर्व कार्योत्तर कानून द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही

संशोधन द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई सजा लागू होगी। लेकिन जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम की बात है तो सजा कम हो जाती है

अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आरोपी को इस तरह की कम सजा का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। लाभकारी निर्माण के नियम के लिए आवश्यक है कि कानून की कठोरता को कम करने के लिए इस प्रकार के पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून को भी लागू किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत ठोस तर्क और सामान्य ज्ञान दोनों पर आधारित है। यह निम्नलिखित में समर्थन पाता है

कानून पर क्रेज़, 7 वीं संस्करण से मार्ग। , पीपी में। 388-89 :

" एक पूर्वव्यापी क़ानून एक पूर्व पोस्ट फैक्टो से अलग है।

कानून "। प्रत्येक पूर्व कार्योत्तर कानून। "चेज़, जे. ने काल्डर बनाम के अमेरिकी मामले में कहा। बैल [3 यूएस (3 डेल) 386: 1 एल एड 648 (1798)] "आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक पूर्वव्यापी कानून एक पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून नहीं है। प्रत्येक कानून जो मौजूदा कानूनों के लिए सहमत रूप से निहित अधिकारों को छीनता है या बाधित करता है, वह पूर्वव्यापी है, और आम तौर पर अन्यायपूर्ण है और दमनकारी हो सकता है; यह एक अच्छा सामान्य नियम है कि किसी कानून का कोई पूर्वावलोकन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन मामलों में जिनमें कानून न्यायसंगत रूप से और समुदाय और व्यक्तियों के लाभ के लिए भी हो सकते हैं जो उनके प्रारंभ के समय से संबंधित हैंः गुमनामी या क्षमा के कानूनों के रूप में। वे निश्चित रूप से पूर्वव्यापी हैं,

और शाब्दिक रूप से किए गए तथ्यों के बारे में और बाद में दोनों। लेकिन मैं।

निषेध के भीतर किसी भी पूर्व कार्योत्तर कानून पर विचार न करें।

जो आपराधिक कानून की कठोरता को शांत करता है, लेकिन केवल वे

वह निर्माता अपराध को बढ़ाता है, या सजा बढ़ाता है

या साक्ष्य के नियमों को इस उद्देश्य के लिए बदलें कि

दृढ़ विश्वास। गैरकानूनी कार्य को वैध बनाने और निर्दोष कार्य करने के बीच एक बड़ा और स्पष्ट अंतर है।

आपराधिक और इसे अपराध के रूप में दंडित करना।

17.6 वर्तमान मामले में, आपराधिक प्रावधानों वाला 2016 का अधिनियम केवल संभावित रूप से लागू होता है, क्योंकि दंडात्मक प्रावधान वाले 1988 के संशोधन अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं भारत संघ और ए. एन. आर. रही हैं।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

असंवैधानिक घोषित किया गया। इसलिए, धारा 3 या 53 के तहत दंडात्मक प्रावधानों के पूर्वव्यापी के रूप में 2016 अधिनियम के निर्माण का सवाल ही नहीं उठता है।

17.7 कानून की पुस्तक पर एक असंवैधानिक कानून की निरंतर उपस्थिति, या यह दावा कि इस तरह के कानून को पहले चुनौती नहीं दी गई थी

संवैधानिक न्यायालय, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने से नहीं रोकते हैं कि ऐसे असंवैधानिक कानून मौजूदा संवैधानिक दोषों को दूर करने के लिए कानूनों के लाभ के लिए या उनका उपयोग पूर्वव्यापी रूप से संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह के उपचार की अनुमति दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का अनुवाद किया जाएगा।

नासमझ। 17.8 यह हमें अधिनियम के अध्याय IV के साथ पठित धारा 5 के तहत ज़ब्ती (ज़ब्ती) के पूर्वव्यापी संचालन के रूप में अंतिम पहलू पर लाता है।

2016 एक्ट करें। भारत संघ का यह तर्क है कि नागरिक ज़ब्ती का नागरिक कानून के दायरे में होना दंडात्मक प्रकृति का नहीं है। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत निहित निषेध को आकर्षित नहीं करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि यह न्यायालय यह मानता है कि 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित दीवानी ज़ब्ती दंडात्मक है, तो ही

17.9 हालाँकि हमने माना है कि 1988 के अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक थी, हालाँकि ऐसी धारणा असंवैधानिक है। यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अध्याय IV के साथ पठित 2016 अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती सिविल प्रकृति की थी और दंडात्मक नहीं है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

17.10 यह अच्छी तरह से तय है कि विधायिका के पास अधिनियम बनाने की शक्ति है

संविधान के तहत पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी नागरिक विधान। हालांकि, अनुच्छेद 20 (1) में कहा गया है कि कोई भी कानून दंडात्मक प्रावधान को अनिवार्य नहीं कर सकता है।

पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित किया जाए। इसके अलावा, एक दंडात्मक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत जनादेश को पारित करने के लिए एक नागरिक प्रावधान के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है जो इस तय किए गए कानूनी सिद्धांत का पालन करता है कि "क्या?

प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। 17.11 इसलिए, तत्काल प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या 2016 अधिनियम के अध्याय IV के साथ पठित धारा 5 के तहत प्रदान की गई पूर्वव्यापी जब्ती दंडात्मक है या नहीं?

17.12 शुरुआत में, हम ध्यान दे सकते हैं कि श्री एस. वी. राजू, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदान किया गया अधिग्रहण अध्याय [2022] 12 एस. सी. आर. के साथ पठित धारा 5 के तहत प्रदान की गई जब्ती के समान है।

2016 अधिनियम का IV। उनका कहना है कि दोनों अवधारणाएं नागरिक कानून से संबंधित हैं और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत प्रदान किए गए दंडात्मक दंड से संबंधित नहीं हैं।

17.13 1988 के पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत अधिग्रहण के साथ-साथ ज़ब्ती

कहा जाता है कि 2016 के अधिनियम के तहत इस तर्क पर अधिनियमित किया गया था कि बेनामी लेनदेन से निकलने वाली संपत्ति भी दूषित हो जाती है।

पहले के अधिनियम के तहत अधिग्रहण प्रावधान और 2016 अधिनियम के तहत जब्ती प्रावधान के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बेनामी लेनदेन की आय को 2016 अधिनियम के तहत पता लगाने योग्य बनाया गया है।

17.15 ज़ब्ती विभिन्न प्रकारों में होती है, जिनमें से कुछ भारत में पाए जाते हैं। मोटे तौर पर, ज़ब्तों को दीवानी और आपराधिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिविल पक्ष पर, इन रेम या व्यक्तिगत रूप से ज़ब्त हो सकते हैं। आपराधिक कानून के तहत दंडात्मक ज़ब्त व्यक्तिगत रूप से होते हैं। आपराधिक बरामदगी आमतौर पर एक मुकदमे के समापन पर होता है, जब आरोपी का अपराध स्थापित हो जाता है। साक्ष्य संबंधी आवश्यकता के मानक बहुत भिन्न होते हैं।

दीवानी और आपराधिक ज़ब्ती के बीच।

17.16 सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में नागरिक ज़ब्ती की ऐतिहासिक उत्पत्ति पहले ज्यादातर अंतर-राष्ट्रीय अपराधों तक ही सीमित थी। इन प्रारंभिक कानूनों ने अनिवार्य किया कि संपत्ति जब्त करने के अधीन थी क्योंकि यह वह साधन था जिसके द्वारा अपराध किया गया था, और इसे परिसंचरण से हटाने के लिए ऐसी संपत्ति को जब्त करना आवश्यक था।

हालाँकि, बीसवीं शताब्दी में ज़ब्ती कानूनों का विस्तार अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला में हुआ। आधुनिक ज़ब्ती कानून न केवल अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति देते हैं, बल्कि अपराध की आय को भी कवर करते हैं।

अपराध भी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में, इस तरह के नागरिक ज़ब्ती कानूनों को दी गई संवैधानिक चुनौतियों को खारिज कर दिया गया है क्योंकि उन्हें आमतौर पर इस तरह के ज़ब्ती कानूनों की ऐतिहासिक व्यापकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। हालाँकि, इसके अस्तित्व के ऐसे ऐतिहासिक कारण नागरिक ज़ब्ती कानूनों के निरंतर विस्तार को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जैसा कि न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने निम्नलिखित तरीके से कहा है:

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

" यह प्रणाली जहां पुलिस सीमित न्यायिक निरीक्षण के साथ संपत्ति को जब्त कर सकती है और इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए रख सकती है-इसने गंभीर और अच्छी तरह से दर्ज किए गए दुर्व्यवहारों को जन्म दिया है, और "ये ज़ब्ती अभियान अक्सर गरीबों और अन्य समूहों को लक्षित करते हैं जो रक्षा करने में सबसे कम सक्षम हैं। ज़ब्ती की कार्यवाही में उनके हित "। 3.

17.17 हाथ में मामले में, हालांकि ज़ब्ती कानूनों का विस्तार संपत्ति को गैर-आपराधिक बनाने के लिए संसद की चिंता से प्रेरित हैहालाँकि, हमें न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स की याद दिलाई जाती है, हो ने कहा हैः

" एक आदिम समय की रीति-रिवाजों की मान्यताएँ या आवश्यकताएँ एक नियम या सूत्र स्थापित करती हैं। सदियों के दौरान, प्रथा, विश्वास या आवश्यकता गायब हो जाती है, लेकिन नियम बना रहता है। कारण जो दिया गया

शासन के उदय को भुला दिया गया है, और चतुर दिमाग यह पूछने के लिए खुद को तैयार करते हैं कि इसका हिसाब कैसे दिया जाना चाहिए। नीति के कुछ आधार के बारे में सोचा जाता है, जो इसे समझाता है और इसे वर्तमान स्थिति के साथ मिलाता है; और फिर नियम खुद को उन नए कारणों के अनुकूल बनाता है जो इसके लिए पाए गए हैं, और एक नए करियर में प्रवेश करता है। पुराना रूप एक नई सामग्री प्राप्त करता है और समय के साथ रूप भी अपने आप को उस अर्थ के लिए संशोधित करता है जो उसके पास है।

प्राप्त किया "। 9.

17.18 जब ज़ब्ती की कार्यवाही को दीवानी या अप्रासंगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणएनजेल बनाम नीदरलैंड (नंबर 1), [1976] 1 ई. एच. आर. आर. 647, को आधिकारिक मार्गदर्शन देते हुए माना गया है। उन परीक्षणों को रिपोर्ट के अनुच्छेद 82 में निर्धारित किया गया है और वे इस प्रकार हैंः

" ((i) जिस तरीके से घरेलू राज्य कार्यवाहियों को वर्गीकृत करता है। यह आम तौर पर तुलनात्मक रूप से कम वजन रखता है और इसे निर्धारक के बजाय एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में माना जाता है-421 और 422 पर ओज़्टर्क बनाम जर्मनी [1984] 6 ईएचआरआर 409 देखें। ((ii) कन्वेंशन के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से वर्गीकृत किए गए आचरण की प्रकृति।

((iii) किसी भी संभावित दंड की गंभीरता-गंभीर दंड,

जिसमें चूक में कारावास और दंड शामिल हैं।

रोकने का इरादा एक अपराधी की ओर संकेत है

इयोनार्ड वी। टेक्सास, 137 एस. सी. टी. 847 , 847-48 (2017) .

द कॉमन लॉ 5 (1881) में ओलिवर वेंडेल होम्स।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लौको बनाम स्लोवाकिया [1998] में ईसीएचआर 26138/95 अदालत ने कहा कि ये मानदंड विकल्प थे और हालांकि संचयी नहीं थे

एक संचयी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जहाँ एक अलग विश्लेषण किया जाता है।

प्रत्येक मानदंड से स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। 'आपराधिक आरोप' के अस्तित्व के बारे में।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त प्रस्ताव की सदन द्वारा भी पुष्टि की गई है।

आर वी में लॉर्ड्स का। एच, [2003] 1 ऑल ईआर 497।

17.19 कैनेडी बनाम मेंडोज़ा-मार्टिनेज, 372 यू. एस. 144 (1963) में,

संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, जबकि उस कानून की संवैधानिकता से चिंतित है जिसने नागरिकता को जब्त कर लिया था जो लोग सैन्य सेवा से बचने के लिए युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर चले गए थे या रहे थे, उन्होंने ज़ब्ती कानून को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक कारकों को निर्धारित किया थाः

चाहे मंजूरी में सकारात्मक अक्षमता शामिल हो या

(अ)

संयम;

क्या इसे ऐतिहासिक रूप से सजा माना गया है;

(ख)

क्या यह केवल तभी लागू होता है जब कोई निष्कर्ष निकला हो।

((ग)

वैज्ञानिक का (अर्थात, एक निष्कर्ष कि एक कार्य किया गया है)

जानबूझकर और जानबूझकर);

((घ)

और सजा के निवारक उद्देश्य;

क्या वह व्यवहार जिस पर क़ानून लागू होता है, पहले से ही है

(ई)

एक अपराध;

(च)

क्या कोई वैकल्पिक उद्देश्य जिसके लिए यह तर्कसंगत हो सकता है

जुड़ा हुआ इसके लिए जिम्मेदार है; और

(जी)

क्या यह विकल्प के आलोक में अत्यधिक दिखाई देता है

निर्धारित उद्देश्य।

17.20 भारतीय मामले के कानूनों पर आते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम।

एस. के. घोष, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 255, यह न्यायालय 1944 के आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 38 से संबंधित था, जिसमें कानून ने केवल प्रावधान किया था।

संपत्ति की कुर्की के लिए, दोषसिद्धि के बाद प्रभावी किया जाता है।

भारत संघ और ए. एन. आर. के विपरीत। वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

वर्तमान कानून के अनुसार, संपत्ति पर दाग का निर्धारण आपराधिक न्यायालय द्वारा आपराधिक दोषसिद्धि का निर्णय लेने के लिए किया जाता है। 1944 के आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 38 की धारा 13 के तहत विचार की गई जब्ती केवल आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले के बाद ही प्रभावी हो सकती है। इस तरह के अनूठे प्रावधानों के आलोक में, न्यायालय ने इस तरह के ज़ब्ती कानूनों को सिविल प्रकृति का बताया। हम ध्यान दे सकते हैं कि इस तरह के कानून में इस कानून के तहत बनाई गई स्वतंत्र ज़ब्ती की कार्यवाही पर विचार नहीं किया गया था, बल्कि आपराधिक दोषसिद्धि के बाद संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया था।

17.21 यह न्यायालय यह देखते हुए कि ज़ब्त करना निस्संदेह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत दंडात्मक है क्योंकि यह दंडों में से एक है।

आई. पी. सी. की धारा 53 के तहत निर्धारित, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1944 के आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 38 की धारा 13 (3) दंडात्मक नहीं थी पूर्व आपराधिक अभियोजन और राशि के निर्धारण पर निर्भर था जिसे निम्नलिखित तरीके से ज़ब्त किया जाना थाः

" 12. आगे क्या एस। 13 (3) 1944 का अध्यादेश जो ज़ब्त करने का प्रावधान करता है, वह यह है कि आपराधिक न्यायालय के अंतिम निर्णय में धन की राशि या संपत्ति के मूल्य के बारे में एक निष्कर्ष होना चाहिए। 12. जैसे ही वह निष्कर्ष निकलता है, जिला न्यायाधीश को पता चल जाएगा कि उसे कितनी राशि ज़ब्त करनी है, और निष्कर्ष का उद्देश्य यह है कि यदि जिला न्यायाधीश को ऐसा करने के लिए कहा जाए

इस निर्णय में कि हमारी राय में एस के साथ पर्याप्त अनुपालन है। 12 (1) 1944 का अध्यादेश और उसमें यह आवश्यकता कि यह अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधित्व पर होना चाहिए, केवल एक है। औपचारिकता। जाहिर है, यहां तक कि एस के तहत एक दृढ़ संकल्प भी। 10 द्वारा अर्जित राशि का 1945 में संशोधित 1943 के अध्यादेश के अनुसार

अपराध अभियोजन पक्ष के कहने पर होना चाहिए क्योंकि यह अभियोजन पक्ष है जो उस निर्धारण के लिए सामग्री प्रदान करेगा जो बदले में वह आधार होगा जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा एस के तहत जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। 10. ..... 14. यह हमें उस विवाद की ओर लाता है जिसका जे. भट्टाचार्य ने समर्थन किया, अर्थात्, एस का प्रावधान। 13 (3) यह एक सजा है और यह कि 1944 का अध्यादेश [2022] 12 एस. सी. आर. में लागू नहीं था।

वह समय जब अपराध किया गया था। 13 (3) प्रत्यर्थी पर कला के रूप में लागू नहीं किया जा सका। 20 (1) यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय लागू कानून के तहत दिए गए दंड से अधिक दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से दो दलीलें मांगी गई हैं। सबसे पहले, यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थी 25 अगस्त, 1944 तक पद पर रहे, जबकि अध्यादेश 23 अगस्त, 1944 को लागू हुआ और इसलिए साजिश जिसके माध्यम से धन दिया गया था।

अध्यादेश लागू होने के बाद तक खरीद जारी रही और इसलिए अनुच्छेद। 20 (1) कोई आवेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी को उससे अधिक दंड के अधीन किया जा रहा था जो अपराध करने के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था। दूसरे स्थान पर, यह आग्रह किया जाता है कि एस द्वारा प्रदान की गई ज़ब्ती। 13 (3) अनुच्छेद 20 (1) के अर्थ के भीतर कोई दंड नहीं है, बल्कि यह केवल सरकार से संबंधित धन की वसूली का एक तरीका है जो

गबन किया गया। यह आग्रह किया जाता है कि सरकार गबन किए गए धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। 13 (3) केवल उस उद्देश्य के लिए एक त्वरित उपचार प्रदान करता है और उसमें प्रदान किया गया ज़ब्त नहीं है

कला के अर्थ के भीतर एक दंड। 20 (1) . ”

17.22 संभागीय वन अधिकारी बनाम। जी. वी. सुधाकर राव, (1985) 4 एस. सी. सी. 573, यह न्यायालय निम्नलिखित के तहत ज़ब्त करने की शक्ति से संबंधित था। आंध्र प्रदेश वन अधिनियम, 1967 की धारा 44 (2) (ए)। यह देखते हुए कि संशोधन से पहले वन अधिनियम की धारा 45 में वन अधिनियम के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद ही नागरिक ज़ब्ती का प्रावधान था, यह महसूस किया गया कि सरकारी वनों के क्रूर शोषण और सागौन, लाल चंदन आदि की अवैध तस्करी के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान अपर्याप्त था। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग तंत्र तैयार किया गया था कि संपत्ति की जब्ती में कोई अनुचित देरी न हो।

17.23 यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले में उपरोक्त नियमों के अनुच्छेद 20 (1) के तहत संवैधानिक चुनौती शामिल नहीं थी। किसी भी मामले में, यह

अदालत ने माना है कि संशोधित अधिनियम के तहत तैयार किया गया नया तंत्र आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह से स्वतंत्र था।

17.24 इसी हद तक, मध्य प्रदेश राज्य में v. कल्लो बाई, (2017) 14 एस. सी. सी. 502, इस न्यायालय ने मध्य प्रदेश की व्याख्या की।

वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 भारत और ए. एन. आर. को स्वतंत्र करने के लिए।

अधिनियम की धारा 15 सी के तहत गैर एन. टी. ई. खंड को ध्यान में रखते हुए आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही। यह भी हो सकता हैकि संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन करने वाले उपरोक्त अधिनियम को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 14. धारा 15 की उप-धारा (1) वन अधिकारियों को अधिकार देती है।

अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए खोज करने के लिए संबंधित

(2) , यह स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी वाहनों, रस्सियों को जब्त कर सकता है, आदि यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि उक्त वस्तुओं का उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया गया था। अधिनियम की धारा 15 के तहत विचार की गई जब्ती की कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है न कि आपराधिक कार्यवाही। वन अपराध के संबंध में अधिकृत अधिकारी की "संतुष्टि" के आधार पर जब्ती की जाती है। प्रावधान की उप-धारा (3) अधिनियम के तहत जब्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है। उप-धारा (3)

ए) एक रेंजर से कम रैंक के वन अधिकारियों को अधिकृत करता है, जिन्होंने या जिनके अधीनस्थ ने किसी भी उपकरण, नावों, वाहनों, रस्सियों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु को जब्त कर लिया है जो ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है।

दोगुनी कीमत की प्रतिभूति के निष्पादन पर उसी को जारी करें इस प्रकार जब्त की गई संपत्ति की राशि। यह प्रावधान उसी के समान है

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संशोधित वन अधिनियम की धारा 53। उप-धारा (4) आदेश देती है कि संबंधित अधिकारी को जब्ती के कारणों को दर्ज करते हुए एक लिखित आदेश पारित करना चाहिए, यदि वह संतुष्ट है कि जब्ती के लिए चिह्नित वस्तुओं का उपयोग करके वन अपराध किया गया है। उप-धारा (5) जब्त करने की कार्यवाही के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। उप-धारा (5)

ए) यह निर्धारित करता है कि जब भी कोई अधिकृत अधिकारी

मामले पर अधिकार क्षेत्र स्वयं जब्ती में शामिल है, अगला उच्च अधिकारी जब्ती की कार्यवाही करने के लिए मामले को उसी रैंक के किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है। उप-खंड

(6) यह प्रावधान करता है कि जब्त किए गए औजारों, वाहनों, नौकाओं, रस्सियों, जंजीरों या लकड़ी या वन उपज के अलावा किसी अन्य वस्तु के संबंध में, जब तक कि उप-धारा (5) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति यह संतुष्ट करने में सक्षम न हो कि वस्तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था या, जैसा भी मामला हो, जब तक कि -

अपने सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या मिलीभगत के बिना और

कि सभी उचित और आवश्यक सावधानियाँ बरती गई थीं

वन अपराध के लिए ऐसी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ। "[2022] 12 एस. सी. आर.

17.25 योगेंद्र कुमार जयस्वाल बनाम। बिहार राज्य, (2016) 3 एस. सी. सी. 183, इस न्यायालय की एक खंड पीठ से संबंधित थी

उड़ीसा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2006 और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 जैसे विभिन्न अधिनियमों को संवैधानिक चुनौती। दोनों अधिनियमों में ज़ब्त करने के प्रावधान थे। जब्ती के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने इसे केवल अंतरिम कुर्की के रूप में पढ़ा। दूसरे शब्दों में, जब्ती की व्याख्या कुर्की की कार्यवाही के समान की गई थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई भी ज़ब्ती आपराधिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी और इसका तार्किक परिणाम यह था कि ज़ब्ती की कार्यवाही पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी और अंततः मुख्य आपराधिक मामले के मुकदमे के साथ निर्णय लिया जाना था।

17.26 अब्दुल वहाब बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 262, यह न्यायालय की व्याख्या से संबंधित था मध्य प्रदेश गोहत्या (निषेध) अधिनियम, 2004, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब्ती की कार्यवाही आपराधिक मामले में बरी होने से स्वतंत्र नहीं हो सकती है। यदि इसके विपरीत व्याख्या की जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन होगा। इस न्यायालय ने मध्य प्रदेश गोहत्या (निषेध) अधिनियम, 2004 के तहत मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 की धारा 15 सी जैसे प्रावधान के अभाव पर भरोसा रखते हुए मामले को कल्लो बाई (उपरोक्त) के फैसले से अलग किया।

17.27 विजय मदनलाल चौधरी और ओआरएस बनाम। भारत संघ,

एक उपयुक्त मामले में और अधिक व्याख्या की आवश्यकता होती है, जिसके बिना, मनमाने ढंग से आवेदन के लिए बहुत गुंजाइश बची होती है। 17.28 उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि न्यायालयों ने कठोर परिणामों को कम करने के लिए अंतर्निहित आपराधिक अभियोजन पर निर्भर होने के लिए दीवानी ज़ब्ती के प्रावधानों को पढ़ा है

ऐसे प्रावधानों के तहत परिकल्पना की गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के अध्ययन को जब्त करने वाले कानूनों के कठोर परिणामों को कम करने के लिए अनिवार्य किया गया था जो अन्यथा राज्य एजेंसियों को भारत और ए. एन. आर. की संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देते।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

आपराधिक अभियोजनों को गंभीरता से आगे बढ़ाए बिना। इस स्तर पर, हम केवल यह सिफारिश कर सकते हैं कि आपराधिक अभियोजन से अलग, ज़ब्त के स्वतंत्र प्रावधानों की उपयोगिता का आनुपातिक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है।

तरीके से, अपराध की गंभीरता को देखते हुए। ऐसे कुछ उदाहरण जो इस तरह के सख्त नागरिक ज़ब्ती के लिए आनुपातिकता को पार कर सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं के गुटों या संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अपराधों से संबंधित हो सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, इस तरह के एक का अनुप्रयोग कई अन्य अपराधों के लिए प्रावधान जो इतनी गंभीर गंभीरता के नहीं हैं, यदि प्रक्रियाएं हैं, तो असमान होने का गंभीर खतरा होगा।

आपराधिक अभियोजन से स्वतंत्र निर्धारित किए जाते हैं। हम नोट कर सकते हैं कि

2016 अधिनियम के तहत निर्धारित अलग-अलग ज़ब्ती प्रक्रिया की आनुपातिकता पर यहां तर्क नहीं दिया गया है। तदनुसार, हम कानून के उपरोक्त प्रश्न को खुला छोड़ते हैं।

17.29 आई. पी. सी. के तहत, धारा 53 के तहत ज़ब्ती को सजा का एक रूप होने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार, आपराधिक संहिता

प्रक्रिया, 1976 अंतरिम अभिरक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान करती है और

आई. डी. 1. (व्यक्तिगत रूप से ज़ब्त) की धारा 451 के तहत मुकदमे के समापन पर ज़ब्त, जो निम्नानुसार है:

451. लंबित संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान का आदेश

कुछ मामलों में मुकदमा। जब किसी संपत्ति का उत्पादन पहले किया जाता है किसी भी आपराधिक न्यायालय किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान, न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उचित समझे।

जांच या मुकदमे के समापन तक, और, यदि संपत्ति त्वरित और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय, ऐसे साक्ष्य को दर्ज करने के बाद जो वह सोचता है, कर सकता है।

आवश्यक, इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दें। स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" में शामिल हैं -

(क) किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो पहले प्रस्तुत किया जाता है।

न्यायालय या जो उसकी अभिरक्षा में है,

(ख) ऐसी कोई संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध के लिए किया गया प्रतीत होता है।

452. मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटान के लिए आदेश।

(1) जब किसी आपराधिक न्यायालय में कोई जांच या मुकदमा समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय [2022] 12 एस. सी. आर. होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट, ज़ब्त या वितरण द्वारा ऐसा आदेश दे सकता है जो वह निपटान के लिए उचित समझे।

किसी संपत्ति पर कब्जा करने या अन्यथा रखने का अधिकार या

उसके समक्ष या उसकी अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज, या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, या जो किया गया है

किसी भी अपराध के लिए उपयोग किया जाता है।

Cr.P.C के तहत उपरोक्त प्रावधानों में व्यक्तिगत रूप से आपराधिक ज़ब्ती के अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं, जिसमें अंत में ज़ब्ती होती है।

मुकदमे से। इन प्रावधानों के तहत, जब्ती का निर्धारण 'उचित संदेह से परे' के प्रमाणिक मानक पर किया जाना है और यह आपराधिक मुकदमे के परिणाम पर निर्भर है।

17.30 संशोधन के बाद बेनामी अधिनियम पर आते हुए, 2016 अधिनियम की धारा 27 (3), (5) और 67 की परस्पर क्रिया एक ज़ब्ती पैदा करती है प्रक्रिया जो भारत में अब तक सीआरपीसी या किसी अन्य अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया से अलग है। जब्ती तंत्र का यह पृथक्करण केवल प्रक्रियात्मक नहीं है। इसने साक्ष्य मानकों के मूल अधिकारों को 'उचित संदेह से परे' से 'संभावनाओं की प्रधानता' में भी बदल दिया है। मानकों के इस तरह के परिवर्तन को केवल प्रक्रियात्मक नहीं कहा जा सकता है।

17.31 2016 अधिनियम के अध्याय IV के तहत जब्ती की कार्यवाही को दीवानी के रूप में चिह्नित करना उचित नहीं हो सकता है। ज़ब्ती को एक दंडात्मक मंजूरी होने की अंतर्निहित मान्यता है, क्योंकि अधिकारी को इस तरह की ज़ब्ती के लिए आरोपी के खिलाफ मामला बनाने के लिए अनिवार्य किया जाता है, जिसमें निर्दोषता की धारणा को संरचनात्मक रूप से बरकरार रखा जाता है। एक दंडात्मक प्रावधान होने के नाते, यह सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति अध्याय के भीतर 'निर्दोषता की धारणा' को एकीकृत करता है क्योंकि वही इसका एक हिस्सा है। मौलिक अधिकार। 1 0

काल्पनिक और नकली लेन-देन के नए वर्ग को भी इसके तहत शामिल किया गया है। इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि विधायिका का इरादा ऐसी संपत्ति की निंदा करना है और संसद द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखने का एक अंतर्निहित प्रयास है कि लेन-देन अक्सर गलत तरीके से अर्जित धन से किए जाते हैं। इन कार्यवाहियों को नागरिक दायित्वों को लागू करने के रूप में नहीं माना जा सकता है, उदाहरण के लिए, शीर्षक में कमियों को सुधारना। यह आगे बढ़ता है और कमाई के साथ दाग भी जुड़ जाता है।

10 नरेंद्र सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 699।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

एक संपत्ति, जब तक कि 2016 अधिनियम की धारा 27 (2) के तहत निर्दोष स्वामित्व की रक्षा स्थापित नहीं की जाती है। जब इस तरह का कलंक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि संपत्ति पर ही बनाया जा रहा है, तो एक पूर्वव्यापी कानून बिक्री की आय की निंदा करने के लिए खुद को दंडात्मक के रूप में चिह्नित करें जिसमें धन को जोड़ने के वैध साधन भी शामिल हो सकते हैं।

17.34 न्यायिक रूप से, एक कानून अपनी परिस्थितियों के विशिष्ट कारण से संपत्ति को जब्त करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि यह संपत्ति के लिए खतरनाक है। किसी भी रूप या स्थिति के कारणों से समुदाय जो वह मानता है। ऐसे में

मामलों में, ज़ब्त को इसके मालिक को दी गई सजा नहीं माना जाता है। इसके विपरीत, यदि कानून यह प्रावधान करता है कि सरकार किसी संपत्ति 'ए' को जब्त कर लेगी, (1) संपत्ति 'बी' में क्या किया गया था, या (2) संपत्ति 'ए' या (3) संपत्ति से संबंधित नहीं होने वाले मामले में मालिक क्या करता है।

अभिप्रेरणा जो आवश्यक रूप से संपत्ति 'ए' में आचरण से संबंधित नहीं है

ऐसे मामलों में, ज़ब्त करना बिना किसी अपवाद के सजा है। इस मामले में, संपत्ति स्वाभाविक रूप से खतरनाक नहीं हो सकती है या नैतिकता के किसी भी मानक को बदनाम नहीं कर सकती है। यह केवल हस्तांतरण और धारण की विधि की निंदा है, जो कभी भारत में संपत्ति धारण का एक मान्यता प्राप्त रूप था। ऐसे मामले में, पूर्वव्यापी रूप से उपयोग की जाने वाली सिविल कार्यवाही स्वयं को दंडात्मक के रूप में चिह्नित करेगी।

17.35 हाथ में मामले में, प्राधिकरण जो इस तरह की जब्ती शुरू करता है, को खोज, निरीक्षण की व्यापक शक्तियां दी जाती हैं,

अनिवार्य उपस्थिति, दस्तावेजों का अनिवार्य उत्पादन। उन्हें पुलिस अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, आयकर अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों की सहायता लेने का अधिकार है।

जानकारी दी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कोई भी व्यक्ति जो जानकारी देने में विफल रहता है, उस पर धारा 54 (ए) के तहत 25,000/- (बीस-पांच हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि एक व्यक्ति

जो किसी भी प्राधिकरण के समक्ष गलत जानकारी प्रदान करता है, उसके अधीन है 2016 अधिनियम की धारा 54 के तहत 5 साल तक के कठोर कारावास की सजा।

17.36 यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि 'संपत्ति का अधिकार' एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है जो [2022] 12 एस. सी. आर. हो सकता है।

कानून द्वारा संक्षिप्त। हालाँकि, यह न्यायालय इससे संबंधित नहीं है

ऐसे उपाय की संवैधानिकता, जिसमें इस तरह के विचारों को संतुलित किया जाना है। बल्कि, ध्यान केवल पूर्वव्यापी जब्ती के लक्षण वर्णन पर है, जो इन तथ्यों और परिस्थितियों में दंडात्मक हैं।

17.37 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि 1988 के अधिनियम के तहत आपराधिक प्रावधान मनमाने और अक्षम थे

2016 के संशोधन के माध्यम से कानून पूर्वव्यापी रूप से उन लेनदेनों को जब्त करने के लिए लागू नहीं हो सका जो बीच में किए गए थे।

समुदाय के लिए परिसंचरण में मुक्त रहने के लिए खतरनाक होना। आर में (संपत्ति वसूली एजेंसी के निदेशक के आवेदन पर) बनाम जिया जिन वह और डैन डैन चेन, [2004] ई. डब्ल्यू. एच. सी. एडमिन 3021, जहाँ जे. कोलिन्स ने इस प्रकार कहा थाः

" 52. मुडी में, पृष्ठ 1254 पर, लॉज एलजे के फैसले में, जो एकमात्र तर्कपूर्ण निर्णय था, से उद्धरण निर्धारित किया गया है

दिया है।

बटलर, जहाँ तक सामग्री की बात है, इस प्रकार हैः

" यह आवेदक का तर्क है कि उसके पैसे की जब्ती वास्तव में एक गंभीर आपराधिक मंजूरी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे सौंप दिया गया है।

कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के तहत उन्हें प्रदान की गई प्रक्रियात्मक गारंटी के अभाव में, विशेष रूप से उनका अधिकार

और इसकी तुलना आपराधिक मंजूरी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे परिसंचरण धन से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था, जिसे अवैध मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ माना जाता था। यह इस बात का अनुसरण करता है कि जिन कार्यवाहियों के कारण आदेश बनाया गया, उनमें आपराधिक आरोप का निर्धारण शामिल नहीं था (देखें रायमोंडो बनाम इटली [1994] 18 ई. एच. आर. आर. 237,264, पैरा 43 पर; और हाल ही में अर्कुरी बनाम इटली (आवेदन संख्या 52024/99), 5 जुलाई 2001 का अस्वीकार्य निर्णय। "" "भारत और ए. एन. आर. का संघ।

वी. एम/एस। गणपति डीलकॉम पी. वी. टी. लिमिटेड। [एन. वी. रमना, सीजेआई]

17.38 जब हम वर्तमान अधिनियम की बात करते हैं, तो इतिहास इंगित करता है कि

एक अलग कहानी जिसमें बेनामी लेनदेन हमारे देश में होल्डिंग का एक स्वीकृत रूप था। वास्तव में, प्रिवी काउंसिल ने, एक समय पर, भारतीय कानून में विश्वास के सिद्धांत के सुई जेनरिस विकास की प्रशंसा की थी। बेनामी लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और विधि आयोग की प्रतिक्रिया भी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 5 वास्तव में वैधता को कम करती है, केवल कागजों पर बनी हुई है और कभी भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं की गई थी। विधायिका द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्रयास इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्वव्यापी रूप से संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत प्रतिबंधों के लिए अतिसंवेदनशील होगा।

17.39 एक अलग कोण से देखने पर, धारा 4, आदि के तहत केवल नागरिक प्रावधानों को जारी रखने का मतलब होगा कि विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना था कि वास्तविक मालिक को बेनामीदार के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए बिना, संपत्ति पर प्रत्यक्ष मालिक का पूर्ण स्वामित्व बना रहेगा। यदि ऐसा है, तो लंबे समय तक किसी भी प्रवर्तन कार्यवाही को प्रभावी किए बिना, 1988 के बाद से जो अधिकार स्पष्ट हो गए हैं, वे खतरे में पड़ जाएंगे। संपत्ति के अधिकार में इस तरह की निहित घुसपैठ को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पूर्वव्यापी रूप से, क्योंकि यह अनुचित रूप से कठोर और मनमाना होगा।

18. निष्कर्ष

18.1 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित मानते हैं:

अ)

असंशोधित 1988 अधिनियम की धारा 3 (2) को घोषित किया गया है -

स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए असंवैधानिक। तदनुसार,

2016 के अधिनियम की धारा 3 (2) भी असंवैधानिक है क्योंकि यह

संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन।

ख)

धारा 5 के तहत ज़ब्त करने के प्रावधान में

2016 के संशोधन अधिनियम से पहले 1988 का असंशोधित अधिनियम, स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक था।

2016 का संशोधन अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक नहीं था।

(ग)

बल्कि, निर्धारित मूल प्रावधान।

2016 अधिनियम की धारा 5 के तहत ज़ब्ती के प्रावधान में,

(घ)

प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है और पूर्वव्यापी रूप से नहीं।

संबंधित अधिकारी आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रख सकते हैं।

ई)

लेन-देन के लिए अभियोजन या जब्ती की कार्यवाही [2022] 12 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

2016 अधिनियम के लागू होने से पहले लागू किया गया। , 25.10.2016 . उपरोक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, ऐसे सभी अभियोजन या ज़ब्ती की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।

चूँकि यह न्यायालय की संवैधानिकता से संबंधित नहीं है

ऐसी स्वतंत्र ज़ब्ती कार्यवाहियों पर विचार किया गया

2016 के संशोधन अधिनियम के तहत अन्य आधारों पर,

उपरोक्त प्रश्नों को निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

उचित कार्यवाही।

अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

दीपक पंवार, एलसीआरए)